श्री अमर शंकर साबलेः महोदय, मैं विधेयक को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री पी.एल. पुनिया (उत्तर प्रदेश)ः सर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः जी।

श्री पी.एल. पुनियाः सर, मेरा आइटम लगा था और प्राइवेट...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः नहीं, अभी यह हो जाने दीजिए।

श्री पी.एल. पुनियाः सर, यह होने के बाद ही तो है, उसी के बाद है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः राष्ट्रपति महोदय के यहां से हो जाने दीजिए।

श्री पी.एल. पुनियाः सर, इसको टेक अप नहीं किया जा रहा है, क्योंकि वित्त विभाग के द्वारा अभी रिकमंडेशंस प्राप्त नहीं हुईं और न उन्होंने यह बताया कि रिकमंडेशंस क्यों नहीं दी गईं।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः यह तो आने पर ही पता लगेगा।

श्री पी.एल. पुनियाः सर, मैं यह इसलिए उठाना चाहता हूं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से लॉटरी में आता है और फिर वह लिस्टेड होता है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः जब तक यह सारी कार्यवाही विधिक रूप से संपन्न नहीं हो जाती, तब तक इसको...

श्री पी.एल. पुनियाः सर, आप पीठ से यह निर्देश दे दें कि वहां से इस पर जल्दी रिपोर्ट आ जाए, तो मैं आपका आभारी होऊंगा।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया)ः ठीक है, कार्यालय इस बारे में आवश्यक कार्रवाई करेगा। The Exploited, Indebted and Poverty Stricken Farmers (Protection, Prevention of Suicides and Welfare) Bill, 2014. Shri Rajkumar Dhoot; not present. Next, the Parliament (Enhancement of Productivity) Bill, 2017. Shri Naresh Gujral.

The Parliament (Enhancement of Productivity) Bill, 2017

SHRI NARESH GUJRAL (Punjab): Sir, I move:

"That the Bill to provide for the establishment of an effective system to prevent and address the decline in productivity of Parliament due to disruptions of sittings, by means of an appropriate legal framework to fix the minimum number of days in a year for which Parliament shall be in Sessions, introduction of special Session in addition to the existing three Sessions, compensation for the hours unutilized due to disruptions, and to provide obligations of the Presiding Officers of both Houses

and the Members of Parliament and for matters connected therewith and incidental thereto, be taken into consideration."

Sir, I have introduced this Bill earlier and the whole idea was that we have seen over the years how Parliament meets for hardly 60-70 days in a year now. Sir, you would recall that after Independence, when the Rajya Sabha started meeting in 1952, the Parliament would meet—I have the figures with me here—for, say, 100 days, 103 days, 111 days, 113 days and so on, but, gradually, over the period of time, successive Governments made sure that the duration of the Session gets reduced. Naturally, as a result, Bills are piled up, action is not taken and public is caused inconvenience. Sir, the people of India are spending a lot of money to ensure that this temple of democracy works and they want their issues to be taken up. They want the Bills to be passed. But, apart from the fact that we are not meeting enough the way we should be, we are also disrupting the Parliament all the time. One feature of my Bill is, if Parliament proceedings are disrupted, then automatically, the number of hours that are lost in disruptions should get added to the Session and once that happens, then automatically whichever Government is in power, they will be held accountable. Sir, I personally feel and as you see in Western democracies, Parliament meets for almost six months of the year, that is, for 200 days. But successive Governments—very frankly, whichever Government is in power and, today, of course, we are sitting with the Government—don't want to be held accountable. Parliament is an accountability forum. So I would urge upon all my fellow Members and the Government to make it official so that the Parliament meets, to my mind, for, at least, four to five months in a year. At least, we should make sure that it is not less than 120 days. Similarly, today when we disrupt the House, that time is wasted. But, if a Member knows that if he disrupts the House, automatically, that much time will be added to the Session, then, I am certain, even disruptions will not be that many. This will serve as a disincentive to the Members disrupting the House. Sir, I feel very strongly about this. Every day, we have Members complaining about this. I have been a backbencher for a long time and it is a pity that during my eleven years in Parliament, I have never got more than nine minutes to speak on any subject because we are meeting for such a short while, and it is the small parties which suffer, it is the backbenchers who suffer. The main parties get time, but, because the Session is not long enough, the issues which the small parties have, they are overlooked. There is a Member of Parliament sitting here. Now, they are only three, like we are three from Akali Dal, and we were ruling in Punjab till recently. When you represent a State, there are issues of the State which have to be brought before the House. After all, this is a Council of States, and if we are not given time, then, how

[Shri Naresh Gujral]

can the issues which are facing our people in our State, be reflected in Parliament? And that can only happen if all of us are given adequate time, and adequate time can only be given if the Session is long enough.

Similarly, there are burning issues before the country. In the morning, in the Business Advisory Committee, people were fighting with each other that their issues be taken up. They are not taken up primarily again because Parliament is in session for, we have seen that, eighty-ninety days, at the most, in a year. There are some Cabinet Ministers sitting here, who are seasoned Parliamentarians. The Minister for Parliamentary Affairs is also here. I hope, the Government will accept my recommendation, and will enact this law because, today, we may be sitting here, we may be there tomorrow, and then, we can hold them accountable, because this is a process of democracy. But, unless Parliament meets, it is a waste of people's money; it is a waste of Government's money, and also I wish to point out one thing, all of us are collectively making sure that as Parliamentarians, we are bringing disrepute to ourselves by frequent disruptions, by fighting all the time with each other. Sir, I have heard brilliant debates here. Individually, who do I name? There are brilliant people sitting here. Each time they speak, you learn something. But, two things happen. Rather than debating, we are only bickering. This is number one. Number two, again, I would say that many of my colleagues, I know I can see them. In fact, we made an Independent Group only for that, which was recognised by the Chairman so that we could get some time to speak. But, if you look at the Parliamentary records, every time, there is an important debate, we people, who are representing small parties, they are given two minutes, three minutes, to speak. For example, I am supposed to speak on the Budget, and they give me three minutes. It is not possible, and the main reason again is, because successive Governments do not want to increase the time of the Parliament. So, Sir, I do hope that the Government is listening, and I do hope that this will be officially taken up by the Cabinet. Thank you very much.

The question was proposed.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Sir, I wholeheartedly support the Bill presented by my good friend, Shri Naresh Gujral, who has also forecast today that those who are sitting there, will soon be sitting here. So, I welcome the forecast, the भविष्यवाणी that he has given before us. But, I what happens to the people sitting in the middle? I don't know, whether they will also be sitting here, or, on that side.

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): इन्होंने 20-25 साल बाद की बात की है, अभी की बात नहीं की है।

श्री जयराम रमेश: दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, बेफिक्र रहिए।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): ऊपर वाले की मेहरबानी पर निर्भर करेगा।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, as Mr. Gujral said, there used to be a time when Parliament used to meet for more than 120 days. There have been years in which Parliament has met for 125 days. Those were the good old days of the 1950s. Then, progressively, it started coming down, and over the last decade, the average is less than seventy days. However, it is still much less than the time taken in the 50's and 60's. I think, the suggestion made by the hon. Member that both Houses should meet for a minimum of one hundred days in a year is acceptable.

Sir, I would like to further make a point distinguishing Lok Sabha from Rajya Sabha. When the debate on Rajya Sabha took place in the Constituent Assembly, one of the reasons given for having an Upper House, the Council of States, was that this is a permanent body unlike the House of the People which changes once in five years. This is a permanent body to which Members get elected when one-third of Members retire every two years. This is a permanent body unlike Lok Sabha. It was also felt that Rajya Sabha is a place which is not only important for legislation, but more importantly for deliberation and discussion because in Lok Sabha you have passions, you have people who are wedded to the ground. It was expected that in the Council of States you will have elders, that you will have knowledgeable people who can look beyond party-lines and discuss national issues.

I would make one small change to what Mr. Gujral has suggested. Even if Lok Sabha is not able to meet for a hundred days, Rajya Sabha should meet for a hundred days because I can understand a Lok Sabha Member catering to almost one-and-a-half to two million constituents. It may not be possible to have a hundred days for Lok Sabha. But no such compulsion, no such pressure is on a Rajya Sabha Member. Therefore, at least, let us make a beginning in Rajya Sabha by meeting for a minimum of hundred days a year even if it is not possible to do it in Lok Sabha.

Sir, the second point I would like to make is—and this is a suggestion I had made to Mr. Chairman as well—we must have a system of Special Sessions. I am glad that the hon. Member has made it a part of the Bill. We must have a fifteen day Session in

[Shri Jairam Ramesh]

a year in which no Government Business is transacted but the issues raised by different parties, not just big parties like ours but small parties like SAD, AAP or YSRCP who may have two, three or four Members, but whose issues may be very important which get drowned out because of the ruling party or the main opposition party. So, in this Special Session, let there be no Government Business. However, national issues should be taken up for discussion and, as a result of the discussion, there would emerge some clarity and consensus. This second suggestion of the hon. Member, I want to wholeheartedly endorse.

Sir, thirdly, why should Rajya Sabha start meeting at eleven o'clock? I did some research into this. Why do Parliament Sessions begin at eleven o'clock? All over the world, Parliament Sessions start at 9.30 or 10 o'clock. Why when half the day is over we come to Parliament? One of the reasons that was given in the 50's was that constituents come and meet Members of Parliament and, therefore, the mornings are taken up meeting the constituents and hence it should meet at a relatively later hour. This pressure again is more on Lok Sabha Members of Parliament than Rajya Sabha Members of Parliament. There is no reason why Rajya Sabha should not begin at ten o'clock. There is absolutely no reason. I can understand Lok Sabha beginning at eleven o'clock but I don't see any reason why Rajya Sabha can't begin at ten o'clock because the pressure on a Member of Council of States is quite different from the pressure of a Member of Parliament belonging to the House of the People.

I think, Sir, these should be part of the law. It can't be a part of convention or tradition like the British Parliament. It should be the law. I request the hon. Minister of Parliamentary Affairs to take this very seriously, bring forward legislation and take credit for it that you have passed legislation mandating hundred days for both Houses; if it is not for both Houses, at least for the Upper House mandate a Special Session to discuss national issues. Mandate that both Houses, or, at least the Upper House, begin at ten o'clock instead of eleven o'clock. Finally, Sir, I entirely agree with the hon. Member that the time lost must be compensated. If we lose two hours in protest and agitation, we must make it up either the same day or make it up the next day, or make it up during the Session. I think this is the least that the public expects from us. Sir, with these words, I commend this Bill and I wish that the hon. Minister gives an assurance that this will actually be introduced as a Government Bill, maybe, not in this Session of Parliament, but in the last Session before they migrate from that side to this side. Thank you, Sir.

डा. अशोक बाजपेयी (उत्तर प्रदेश): महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण विधेयक पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको हृदय से साधुवाद देता हूं। महोदय, यह लोकतंत्र का सर्वोच्च मंदिर है, सर्वोच्च सदन है और देश के तमाम राज्यों की विधान सभाएं यहां की गतिविधियों से, यहां के कार्य-संचालन से प्रभावित होती हैं। हम सबको, जो लोकतंत्रा का एक सर्वोच्च सदन है, यहां पर कुछ ऐसी मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए, जिससे लोकतंत्र में आस्था रखने वाले लोगों को यह विश्वास हो कि यह वह सदन है, जहां आपसी बातचीत से बड़े-बड़े मामले हल होते हैं और यह वह सदन है, जहां महत्वपूर्ण विधेयकों को बनाने का काम होता है। मान्यवर, जब बिना किसी कारण के सदन adjourn होता है, छोटी-छोटी बातों को लेकर वाद-विवाद होता है और ऐसी स्थिति बनती है, जिससे सदन को adjourn करना पड़ता है, वह दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां पर सारे वरिष्ठजन वे लोग हैं, जिनका सार्वजनिक जीवन में लम्बा अनुभव है और उनसे लोग सीखना चाहते हैं, उन्हें देखना चाहते हैं। जब यहां पर इस तरह से कार्यवाही बाधित होती है, तो यह देखकर चिंता होती है।

महोदय, यह परम्परा थी कि राज्य सभा कम से कम सौ दिन चलेगी, लेकिन जिस तरह से पिछले वर्षों में देखा गया है, यह अवधि निरंतर घटती चली जा रही है। इस पर सभी माननीय सदस्यों का चिंतित होना स्वाभाविक है कि कैसे सदन का समय, जो minimum 100 दिन है, उसे पूरा किया जा सकता है - अच्छा हो वह उससे ज्यादा चले, लेकिन कम से कम जो न्यूनतम सौ दिन की अवधि राज्य सभा के चलने की है, उसे तो किसी भी स्थिति में प्राप्त करना आवश्यक है। यहां पर महत्वपूर्ण विधेयकों पर चर्चा होती है, बहुत सारे ऐसे विधेयक हैं, जो बहुत लोक-महत्व के हैं, जिन पर बहुत सारे सदस्य चर्चा करना चाहते हैं, चर्चा में हिस्सा लेना चाहते हैं, लेकिन समय के अभाव में उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता। बहुत सारे लोक-महत्व के ऐसे सवाल हैं, जो प्रदेश से जुड़े हुए हैं, क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, माननीय सदस्यों की उन सवालों को भी सदन में उठाने की उत्कंठा होती है, लेकिन जब सदन नहीं चलता है या कम समय के लिए चलता है तो उन्हें बहुत कम समय मिल पाता है - विशेषकर नए सदस्यों को लगातार इसका शिकार होना पड़ता है कि उन्हें अपनी बात को रख पाने का मौका नहीं मिलता। महोदय, यह विधेयक बहुत महत्वपूर्ण है, मैं चाहूंगा कि सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करे। यह प्रश्न केवल सरकार का ही नहीं है, सदन के जो भी सदस्य हैं, दलों से ऊपर उठकर इस पर बैठकर कोई सामूहिक नीति बनाएं, इस बात पर विचार करें कि सदन की कार्यवाही बाधित न हो, सदन पूरे समय तक चले और महत्वपूर्ण विषयों पर सदन में गंभीर चर्चा हो। महोदय, जैसा मैंने कहा कि यह लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है, यहां से इस देश के करोड़ों लोगों की अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। जिस समय यहां की कार्यवाही चलती है, देश के करोड़ों लोग टीवी पर आंख गढ़ाए बैठे रहते हैं कि राज्य सभा में क्या चर्चा हो रही है, किस विषय पर क्या बहस हो रही है और राज्य सभा किस निष्कर्ष पर पहुंची, लेकिन जब यहां हंगामा हो जाता है, राज्य सभा adjourn हो जाती है तो लोगों को निराशा होती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि इस गंभीर विषय पर पूरे सदन का ध्यान आकर्षित हो और सभी दलों के नेता मिल-बैठकर कोई ऐसी रणनीति बनाएं जिससे सदन अपने पूर्र कार्यकाल में चले और महत्वपूर्ण विषयों पर सभी सदस्यों को अपनी राय रखने का अवसर मिले।

महोदय, मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं कि नए सदस्यों के प्रति सदन का विशेष ध्यान होना चाहिए कि उन्हें ज्यादा अवसर मिलें ताकि वे अपनी बातों को रख सकें। इसके अतिरिक्त

[डा. अशोक बाजपेयी]

3.00 P.M.

backbenchers की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। मेरा पीठ से भी निवेदन है कि पीछे की सीटों की तरफ भी दृष्टिपात करें, जिससे हम लोग भी अपनी बात रख सकें। आपने मुझे इस विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यावाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): प्रो. मनोज कुमार झा, चूंकि श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी को कहीं जाना है, इसलिए यदि आप और सदन अनुमति दे तो मैं उन्हें बुला लेता हूं। श्री वि. विजयसाई रेड्डी।

SHRI V. VIJAYASAI REDDY: Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity. Sir, the Bill that has been introduced by my colleague, Shri Naresh Gujral is very much essential and requires to be passed in the interest of Parliamentary democracy. In fact, I support the Bill. Sir, I would like to highlight a few points in this regard. Sir, as he has pointed out, the minimum number of working days should be at least, 120 and if you see, in the recent past, the number of working days have significantly and substantially come down to 90 or even below 90, which is not acceptable to any Parliamentarian, particularly to the Members who are sitting in the Opposition benches. The Government has given a reasoning stating that because of the sittings of the Department-related Parliamentary Standing Committees, the number of working days for the Parliament has been reduced, the explanation of which is not acceptable because the Parliamentary Standing Committees can only make the recommendations and that cannot be the reason. And because they are recommendatory in nature, these are not binding on the Government. Therefore, it is imperative and necessary for the Parliament to sit, for at least, a minimum of 120 days. That is the most viable thing. Sir, the next thing, I have been observing for the last two years, is that the sitting of Rajya Sabha has always been linked to the sitting of Lok Sabha. I really don't understand why the sitting of Rajya Sabha should be linked to Lok Sabha. Even if some of the Bills have not been passed, because of disruptions in the House or for whatever reason, the Rajya Sabha can independently sit and the number of 120 working days, I feel, we can complete in all respects. Therefore, the linking of Rajya Sabha's working with that of Lok Sabha should be separated. Sir, as Jairam Rameshji has pointed out, Special Session of Parliament, particularly of Rajya Sabha is very much essential. If we carefully observe the proceedings of Rajya Sabha for the last few years, I could, see that the time that is given to the small opposition parties is significantly less. For example, before speaking on the Budget in the House, we carefully study the Economic Survey; so also other reports that are presented in the House and

also the Papers that are being tabled everyday by the Ministers are being perused by the hon. Members. And, hon. Members are not given sufficient time and opportunity, particularly the small parties. What purpose will it serve by the Ministers placing the various issues on the Table unless they are studied by Members and present their views? Therefore, sufficient time should be given to all the Members. Probably, in the Business Advisory Committee, you always fix the time. It depends upon the proportion of the strength of the various political parties. Once a Member enters the House, it is not the political parties which is important. A Member is a Member irrespective of the party he represents. Therefore, I contend that sufficient opportunity to be given to every Member of the House irrespective of the political party he represents. Sir, coming to the time lost, Shri Jairam Ramesh has rightly pointed it out. In fact, I will go one step forward. Time is lost because of disruptions of the House. Disruption may occur because of the Opposition Parties but, I have observed in the last Session that the Treasury Benches, in fact, have disrupted the House. Therefore, I sincerely feel, irrespective of the fact whether Opposition Benches disrupted or the Treasury Benches disrupted the House, the time that is lost due to disruptions should be compensated. There are two ways of doing it. The number of days should proportionately be increased. Secondly, I suggest, as a penal provision, the Members responsible for disruption of the House should not be paid salary and other allowances.

With these observations, I support the Bill and this Bill should be passed by the House in its present form.

PROF. MANOJ KUMAR JHA (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, I begin by complimenting Shri Naresh Gujralji for bringing this Bill. This is one of the best things that have happened to me as a new Member of Parliament.

Sir, all of us, whether we are sitting there or here, entered into politics due to certain fundamental reasons. And the reasons are that we wanted to intervene in the distribution of resources and in associating with structures/institutions that determine public policy. These are the fundamental reasons behind entering into politics, irrespective of the place — right, left or centre — we occupy in our public life. But, we all put forth the same kind of arguments, the same kind of approach ताकि यह लगे कि सत्ता और संसाधन में भागीदारी के सवाल पर हम चुप नहीं हैं।

Sir, I became a Member of this House on 3rd April, this year. The last three days of Budget Session were washed out. On the 5th April, I remember, hon. Chairman invoked Pandit Jawharlal Nehru and his views on the Upper House *i.e.,* Rajya Sabha.

[Prof. Manoj Kumar Jha]
यह मौसम ज़रा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए बेमुरव्वत सा मौसत है। मैं समझता हूं कि चेयरमैन साहब द्वारा उनको उद्धृत करने पर मुझे बेहद खुशी हुई। हम में से अधिकांश लोग उस नेहरूवियन मूल से आते हैं, जहां लगता है कि हम एक दूसरे से बिना दुश्मनी की ज़ुबान के भी बातें कर सकते हैं।

सर, मैं एक चीज़ का उदाहरण देना चाहूंगा। 1789 में French Revolution के बाद जब Objective Resolution पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी सेंट्रल हॉल में प्रस्तुत किया होगा। Constituent Assembly में, तो उन्होंने कई सारी चीज़ें कहीं, जो Fundamental Rights में आयीं, Directive Principles of State Policy में आयीं और अलग-अलग धाराओं में आयीं। सर, उन्होंने एक Oath of Tennis Court का ज़िक्र किया। सर, French Revolution के बाद जो बादशाह थे, उन्हें लगा कि मैं इनके साथ बैठकर संविधान बनाऊंगा, तो उसमें मेरी उपेक्षा नहीं होगी। सर, शुरू में बादशाह पुरखुलूस थे, बहुत प्रसन्न थे, सबको बहुत साधुवाद दे रहे थे, बैठो, आओ, बात करें, ये करें। हुआ यह कि अचानक राजा को लगा कि मेरे अधिकारों में कटौती की जा रही है, तो उन्होंने दो कमरे बंद करवा दिए। सर, वे इसी तरह के कमरे रहे होंगे। फिर Constituent Assembly तीसरे कमरे में चली गई, उन्होंने उस कमरे को भी बंद करवा दिया। होते-होते कोई कमरा Constituent Assembly के लिए नहीं बचा था। उसके बाद पूरे मेम्बरान Tennis Court में गए और उन्होंने Oath ली, उसको Oath of Tennis Court कहते हैं। यह पार्लियामेंट की हिस्ट्री है। यह हिस्ट्री, चाहे हम दक्षिण में हों, चाहे हम पश्चिम में हों, चाहे मध्य में हों, हमें नहीं भूलना चाहिए कि पार्लियामेंट फंक्शन करेगी, तो बड़ी से बड़ी, बुरी से बुरी बीमारी का हल निकल सकता है। यह मेरा निवेदन है।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): अब आप समाप्त करिए।

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, एक मिनट का समय और दीजिए। सर, मैंने अपनी मेडन स्पीच को बचाकर रखा हुआ है। मुझे ऐसे वक्त का इंतज़ार है, जब ...

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): आप उसको बचाए रखिए। वक्त पर काम आएगी।

प्रो. मनोज कुमार झा: उपसभाध्यक्ष जी, मैं एक छोटी सी टिप्पणी करना चाहता हूं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश गुजराल: उपसभाध्यक्ष जी, मैं यह बात इसलिए कह रहा हूं कि यदि हमें 100 दिन या 120 दिन मिलेंगे, तो आज माननीय सदस्य को बोलने के लिए आधा घंटा मिलता। ...(**व्यवधान**)...

प्रो. मनोज कुमार झा: सर, मैंने पहले ही कह दिया कि मेरी यह speech, maiden speech नहीं है। वह मैंने बचा कर रखी है।

महोदय, आज जब मैंने श्री नरेश गुजराल साहब का बिल देखा, तो यकीन मानिए, हो सकता है, मैं आपकी राजनीति से इत्तेफाक़ न रखता होऊं, लेकिन आपके इन सरोकारों से शत-प्रतिशत इत्तेफाक़ रखता हूं। हम कोशिश करेंगे कि आज की इस बहस के बाद एक precedent set हो, जिसमें disruption कहीं से भी हो, चाहे सत्ता पक्ष से हो, प्रतिपक्ष से हो, नीचे से हो या कभी-कभी ऊपर से भी

हो जाता है, तो उस disruption को हमें avoid करना है। मैं समझता हूं कि disruption ने democracy की आत्मा को काफी हद तक लील लिया है।

महोदय, इनका एक Chapter-3 है। उसमें एक बहुत अच्छा सुझाव है। मेरी अक्सर मीडिया के दोस्तों से बात होती है। अभी देश के अलग-अलग हिस्सों में आरक्षण की चिंगारी चली हुई है। जब मेरी मीडिया के दोस्तों से बात होती है, तो मैं कहता हूं कि Parliament का एक committed session होना चाहिए, क्योंकि Article 15, Clause 4 और Article 14 और Clause 4 की आत्मा को समझे बिना और डा. भीमराव अम्बेडकर साहब की भावना को समझे बिना, लोग इस पर अपनी टिप्पणी देते हैं। मैं अपने दोस्तों से अक्सर कहता हूं कि आरक्षण गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है या यह income generation programme नहीं है। हमारे उच्च समाज में भी अलग-अलग जातियों में कई तरह की दिक्कतें हैं, लेकिन वे faulty आर्थिक प्राथमिकताओं की वजह से हैं, जिन्हें दूर करने के लिए हमें वक्त ही नहीं मिलता है।

महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं। National Party और Regional Party हैं, या bineary हमें बहुत परेशानी करती है। ये जो क्षेत्रीय शब्द है, इसे देखकर लगता है कि यह कोई बहुत बुरी बात है। क्षेत्रीय दलों का World vision बड़ा हो सकता है। उनकी राष्ट्रीय सोच, राष्ट्रीय पार्टियों की सोच से बड़ी हो सकती है। आप उदाहरण देख लीजिए। मेरा सिर्फ इतना कहना है कि इस bineary की वजह से भी हम संख्या में छोटे होते हैं।

महोदय, आखिर में एक छोटी सी टिप्पणी कर के मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। जब मैं पहली बार आया, तो मैंने देखा कि आगे बैठने वाले सभी के पास desk है, मतलब presume किया जाता है कि लिखने-पढ़ने का सारा काम वे ही करेंगे और हमारे पास कुछ नहीं है। ये कुछ-कुछ मौलिक चीजें हैं। Once agains, I compliment Mr. Naresh Gujral. And, I believe, the kind of consensus, we have in this House today on the said agenda, makes sure that the Lok Sabha works for 100 days or not, we work for 100 days and if possible, from 9.30 in the morning to 8.00 in the evening.

Thank you, Sir.

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्रीमती छाया वर्मा जी, श्री महेश पोद्दार जी, कहीं जाने वाले हैं। इसलिए यदि आप अनुमति दें, तो ये बोलकर जा सकते हैं।

श्रीमती छाया वर्मा (छत्तीसगढ़): उपसभाध्यक्ष जी, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद और श्रीमती छाया वर्मा जी को भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने मुझे accommodate किया।

महोदय, समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग आज पार्लियामेंट की गतिविधियों में रुचि ले रहा है और खासकर तब, जब से टेलिविज़न से लाइव प्रसारण शुरू हुआ। मुझे भी आश्चर्य होता है कि अनेक लोग, जिनके बारे में हम सोचते थे कि उन्हें पार्लियामेंट की proceedings में कोई रुचि नहीं होगी, लेकिन वे

[श्री महेश पोद्दार]

भी बोलते हैं कि पार्लियामेंट में फलां ने ऐसा बोला और फलां ने वैसा बोला। उन सारे लोगों को इस बात की चिन्ता होती है कि जब आप लोगों को सारी सुविधाएं दी जाती हैं, फिर भी आप लोग काम क्यों नहीं करते? मुझे बड़ी खुशी है और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, अपने साथी श्री नरेश गुजराल जी को, क्योंकि वे एक बहुत अच्छा मुद्दा सही समय पर लेकर आए हैं। मैं समझता हूं कि हमारी यह समस्या अब बढ़ती जा रही है, यानी disruption बढ़ता जा रहा है और number of days या हमारी productivity कम होती जा रही है।

महोदय, जब दो साल पहले मैं यहां आया था, तो मैंने भी सदन में कुछ नारे लगाए थे और जब अगले दिन proceeding आती थी, तो उसमें लोगों की जो निन्दा की जाती थी, उसमें अपना नाम देखकर मुझे जो ग्लानि होनी चाहिए, वह ग्लानि नहीं होती थी, लेकिन अब, जबकि थोड़ी maturity आ गई है, तब मुझे लगता है कि नहीं, यह उचित नहीं है और नारे लगाने का जो काम मैंने किया, वह गलत किया। इससे मैं समझता हूं कि मुझ में अपने को नियंत्रित करने की प्रवृत्ति कुछ बढ़ी है।

महोदय, एक अच्छा सुझाव यह है कि जिन लोगों के कारण, चाहे वे किसी भी पक्ष के हों, यदि House को स्थगित करना पड़े और number of working hours कम हों, तो उन्हें किसी न किसी चीज से वंचित जरूर करना चाहिए, फिर चाहे कुछ भी करें, चाहे पैसे से करें। उन्हें किसी न किसी चीज से वंचित जरूर रखना चाहिए। यह परम्परा तो होनी ही चाहिए। हां, मैं यह स्वीकार नहीं करूंगा कि पूरे हाउस में कुछ भी टोका-टाकी न हो, क्योंकि मैं समझता हूं कि इससे यह थोड़ा नीरस भी हो जाएगा। इसलिए जैसा चेयर करते हैं कि थोड़ी-बहुत टोका-टाकी और थोड़ा-बहुत ट्रैक से उतरना, उतना तक तो allowed होना चाहिए।

महोदय, इन्होंने जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात कही है कि there should be a focus on productivity. It is not that आप number of days बढ़ा दीजिए, लेकिन productivity अधिक नहीं हो। संसद का जो मुख्य काम है, वह कानून बनाना है और देश की हालत पर गौर करना है। यह हम कैसे करें? केवल अधिक घंटों तक काम करें या quality of discussion, quality of deliberation भी अच्छा हो।

महोदय, इसके साथ ही मैं इसका समर्थन करते हुए यह उल्लेख करना चाहूंगा कि सारे राज्यों में जो सदन के मिलने और सदन के दिनों में कमी होती जा रही है, हमें उस पर भी चिन्ता करनी चाहिए। मुझे बहुत सारे विषय ऐसे लगते हैं, जिन पर राज्यों मे बहस की जा सकती थी, लेकिन वे बहस वहां न होकर संसद में बहस के लिए आती हैं। साथ ही साथ मैं सरकार से कहूंगा कि वह इसके लिए एक व्यवस्था करे कि राज्यों में भी इसकी चिन्ता की जाए कि उनके दिन भी कैसे अच्छे हों।

महोदय, एक और बात यह है कि पार्लियामेंटरी कमिटी की मीटिंग्स को अधिक सशक्त बनाया जाए। मैंने कुछ कमिटीज़ में देखा है कि वहां जो deliberations होते हैं, उनमें कम लोग होते हैं। मैं वहां एक बड़ी अच्छी चीज़ देखता हूं, जो मैं यहां शेयर करना चाहता हूं कि there is a discussion across party lines. वहां एकमत होकर चिन्ता पार्टी लाइन पर divide किए मुद्दे पर ज्यादा बहस होती है, न

कि इस पर कि उस पार्टी ने ऐसा कहा, तो मुझे उसका विरोध करना है। वहां मुद्दों पर ज्यादा बहस होती है, यह एक बहुत अच्छी बात है।

महोदय, कुल मिलाकर मैं इस बात का स्वागत करता हूं कि हमें किस तरह से इसको productive बनाना चाहिए। इस पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए, चाहे number of days बढ़ा कर, चाहे number of hours बढ़ा कर या बहस के तरीकों को बढ़ा कर। धन्यवाद।

श्रीमती छाया वर्माः सर, राज्य सभा देश का सर्वोच्च सदन है और इस सर्वोच्च सदन में बैठने वाले सभी मूर्धन्य लोग विभिन्न राज्यों से आते हैं। आदरणीय गुजराल जी ने बहुत सुंदर issue रखा है कि इसका समय बढ़ाया जाए, इसके दिन बढ़ाए जाएं। मैं उनके इस महत्वपूर्ण बिल का पूरी तरह से हृदय से समर्थन करती हूं। मैं चाहती हूं और इसमें बैठने वाले सभी लोग यह चाह रहें होंगे कि यह ज्यादा दिन चले। यह न केवल ज्यादा दिन चले, बल्कि सदन की उपस्थिति भी ऐसी रहती है कि टीवी में देखें, चाहे यहां बैठें, देखने में शर्म आती है कि इतने बड़े देश का यह सर्वोच्च सदन है और यह सदन खाली-खाली है। मैं चाहती हूं कि यह भी नियम बने कि सभी सदस्य इस सदन में हाउस के adjourn होने तक बैठें।

सर, सदन को चलाना सरकार में बैठे हुए लोगों की जिम्मेदारी है। यह मैं नहीं कह रही हूं, इस बात को सुषमा स्वराज जी ने भी कहा था और जेटली जी ने भी कहा था। जब आप इधर थे और हम उधर थे, तो उन्होंने यह कहा था कि सदन को चलाना शासन की जिम्मेदारी है। अभी सदन नहीं चल रहा है, तो जिम्मेदारी किसकी है, यह मैं नहीं कहूंगी, आप समझ सकते हैं, सदन समझ सकता है कि सदन क्यों नहीं चल रहा है। इसके लिए 100 दिन निश्चित रूप से होने चाहिए। सभी सदस्यों को लगता है कि हम अपनी बात रखें, लेकिन सदन में हम उसे रख नहीं पाते हैं। जब प्रश्न-उत्तर होता है, तो दो बार पूरक प्रश्न पूछने का मौका मिलता है। अगर उसका उत्तर सही नहीं आता है, तो हम वापस प्रश्न नहीं कर पाते हैं। यहां भी अभाव खलता है। कई मेम्बर्स अपनी-अपनी स्टेट्स की बात रखना चाहते हैं, लेकिन वे रख नहीं पाते हैं। इसलिए इसका समय निश्चित रूप से बढ़ाना चाहिए। यहां तक कि आपने बजट सेशन में भी कटौती कर दी है। बजट सत्र को भी बहुत कम दिनों का कर दिया गया है। इसलिए बजट सत्र के दिनों को भी बढ़ाना चाहिए।

अभी जैसा भाई साहब कह रहे थे कि कमिटी की मीटिंग्ज़ भी ठीक से नहीं होती हैं। मैं मानती हूं कि कमिटी में 30-30 मेम्बर्स रहते हैं, लेकिन कभी चार, तो कभी पांच लोगों की उपस्थिति रहती है। अब तो TA/DA की कटौती होने के बाद कोरम के अभाव में भी कमिटी की मीटिंग्ज़ नहीं हो पा रही हैं। इसलिए यह भी इस सदन के लिए चिन्ता का विषय है। सभी सदस्यों को कमिटी मीटिंग्ज में अनिवार्य रूप से रहना चाहिए। कमिटी की जो मीटिंग्ज़ होती हैं, वे महत्वपूर्ण होती हैं, लेकिन हम उनको उतनी तवज्जो नहीं देते हैं। कमिटी की मीटिंग है, हमने signature किया और हम चले आते हैं, लेकिन असली बात उस कमिटी में होती है। जो भी नियम बनता है, उस कमिटी में बनता है। तो हमें उस कमेटी की मीटिंग को गंभीरता से लेना चाहिए और उसमें अपनी उपस्थिति अवश्य दर्शानी चाहिए, साथ ही अपनी एवं अपनी स्टेट की बात निश्चित रूप से कहनी चाहिए। पहले, जब मनमोहन सिंह जी प्रधान मंत्री हुआ करते थे, उस समय सदन में जब कभी भी विवाद की स्थिति निर्मित होती थी, तो वे स्वयं

[श्रीमती छाया वर्मा]

तुरंत यहां आ करके उस समस्या को सुलझाते थे और सदन चलता था। लेकिन अभी जो प्रधान मंत्री हैं, वे केवल गुरुवार को ही आते हैं और 10 मिनट बाद चले जाते हैं। मैं कहना चाहती हूं कि उन्हें अपनी जवाबदारी और जिम्मेदारी फील करनी चाहिए। यह देश का सर्वोच्च सदन है, जिसे पूरी दुनिया देख रही है। यह गुजरात की विधान सभा का सदन नहीं है। सदन को चलाना सरकार की जिम्मेदारी है, साथ ही सभी सदस्यों की जिम्मेदारी है कि वे सदन में उपस्थित रहें। श्री गुजराल जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं मैं उसका हृदय से समर्थन करती हूं। मेरी राय है कि सदन 100 दिन ही नहीं, बल्कि 120 दिन चलना चाहिए, धन्यवाद।

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH (Tamil Nadu): Thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity.

It is a great opportunity for all of us to open up our minds to think about the effective parliamentary process and also how to be an effective parliamentarian. We have to all think about this. I am extremely grateful and I also express my wholehearted gratitude to our colleague MP., Naresh Gujralji, for bringing this Bill because we have to make Parliament more effective. He wants the Parliament to function more and be productive also. He has brought this Bill at a time when we all have to make more sensible contributions to this highest institution, the Parliament.

To place my views, first and foremost, we all should agree that Private Members' Bill should be given more space and respect. As you all know, this is an effective Bill. Also, the other Private Member's Bill, the one which was brought by my DMK colleague, Shri Tiruchi Siva, actually made the whole country to think about the transgenders. All of us have to think about it. We all together unanimously passed that Private Member's Bill and after that, the Government brought it as a Government Bill. As you know, transgenders have to undergo numerous hardships every day. They don't have even a bathroom. Bathroom will be 'male-female'; the 'other gender' has no bathrooms. Not only bathrooms. Even in the filling up of forms in the college, there is no column for them. If a transgender wants to get admitted in a college, there will be 'male-female' column; there is no 'transgender' column. So, in each and every place, this whole community, this whole group of people, who are all one among us, has been a neglected group, a discriminated group. People thought that they were all punished by God and they are earning for their livelihood. Like that, there are so many misconceptions. But the Parliament stood up for them, and we enacted a law so that they also find their due respect and live in this land with respect and dignity. So, we have to make more space for Private Members' Bills and also give more respect to these Bills. We have to open up and we have to allow a variety

of ideas to bubble up for the Government. We have to bring more productive ideas to fulfil the grassroot people's intentions. Grassroot people's intensions need to be brought out to the public. The Government will have to listen to non-mainstream points of view and provide official support whenever it is appropriate. We have to enable it, the MPs have to enable it to become the true lawmakers. We have to quickly learn the major topics and also the concerns of some sections, the neglected sections, of the public. As Shrimati Chhaya Verma said, they go to the Parliamentary Committees, just sign and then come away. As our hon. HRD Minister said, in the US, the Parliament functions for 200 days in a year. That is the practice in the western countries. But here we have to think what we need to do. Even if our Parliament is made to function for 200 days, we need to make it productive.

I now come to televising the Committee meetings. Televising the proceedings of Parliamentary Committees...

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): What would happen then is that it would also become like Parliament; there would be no work done there too.

SHRIMATI VIJILA SATHYANANTH: As rightly said by the hon. Member here, there is bipartisanship and well-researched discussion going on in parliamentary committees. A lot of hard work is being done in the parliamentary committees. A crucial aspect of the parliamentary process is, it is put up from the public side. People should know. If I raise an issue that a person is interested in, he would approach me. He would think, 'yesterday, madam spoke about the safety of women and so, I can approach her.' So, people would come to know that I am interested in a particular subject. We would gain public recognition and respect because we raise a wide range of issues relating to pending legislation. If I am interested in a particular legislation, the people would approach me with their genuine concerns. So, this needs to be made public. The MPs should be given competent research staff. We must be provided with research scholars so that we can be more productive.

Sir, while I was talking to my senior colleague, Shri Manish Gupta, he told me that he always gave 100 per cent attendance when he was a Member of the Legislative Assembly and also when he is an MP. How many of us actually make 100 per cent contribution to the Parliament? People are always watching us. Public Interest Litigations must be enabled. The voices must be heard. People's views must be heard through the voices of the MPs. So, we must have a parliamentary system that would enable MPs

[Shrimati Vijila Sathyananth]

to hear and reflect the viewpoints of the affected citizens, the unheard people. All of us stood up when Nirbhaya case came up, when the case of a 14 year old came up. There are many other things which do not come to the fore. Many newspapers do not project the real situation prevailing in the remotest regions. So, we must create a system so that MPs know and are enabled to hear the viewpoints of the affected citizens. Let us be the voice of the voiceless. Before any legislation is passed, various stakeholders should find a way to articulate their viewpoints in key political decisions. We need to make this more transparent also. Everything is done behind the scenes. It has to be brought to the fore. Economist, Albert Hirschman wrote a book Exit, Voice and Loyalty - responses to decline in organizations and States. This has already been referred to by my senior colleague, Prof. M.V. Rajeev Gowda. When people cannot express voices, they would choose to exit. Clearly, when the people of India are not able to express their voices through their elected representatives, they would choose to exit the parliamentary system and look for solutions away such as the judiciary and the civil society. We have to express their voice so that people may get confidence and may repose faith on us. So, we have to be the voice of people. Even at this point, we can learn and give a legacy by restoring Parliament's primacy and legitimacy. We can restore it in the eyes of every citizen of our country. With these words, I commend this Bill and highly accolade the great views brought forth by Shri Naresh Gujral. I want this Bill to be passed by Parliament. Thank you.

श्री हरिवंश (बिहार): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, समय देने के लिए धन्यवाद। संसद की उत्पादकता बढ़े, इसलिए संसद की उत्पादकता बढ़ाने संबंधी बिल पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। जो संसद देश के लिए नीतियां बनाती हैं, उसकी उत्पादकता बढ़े, देश में बेहतर तरीके से काम हो, आज विलम्ब से ही सही कम-से-कम सदन में हम इस बात पर बहस कर रहे हैं, कि जो काम हमें शुरू से करना चाहिए था, उसे करने के लिए हमें यहां बिल लाना पड़ा। इस दृष्टि से मैं वर्तमान बिल का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

दरअसल यह हमारे व्यवहार में उतरे, हम इसे अपनाएं, इसके लिए हम कोशिश करें, परन्तु अपनी बात कहने के लिए मैं जिन बातों से ज्यादा प्रेरित हुआ, उन 4-5 प्वाइंट्स को यहां रखना चाहूंगा। सबसे पहले मैं यहां प्रखर सांसद, माननीय जयराज रमेश जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। उनका पहला सुझाव आया कि यह सदन सुबह 10.00 बजे से चले, बिल्कुल सही है। इसे अपनाया जाना चाहिए। सदन का 15 दिनों का विशेष सत्र भी हो, इसका उल्लेख भी उन्होंने किया, यह भी बहुत उपयोगी है। तीसरे, उन्होंने पूछा कि हम तो उधर चले जाएंगे, वे इधर आ जाएंगे, लेकिन ये बीच वाले लोग क्या करेंगे? मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि माननीय जयराम रमेश जी हम वही करेंगे, जो अब तक करते आए हैं। हम नीति की बात करते रहे हैं लेकिन जब आप वहां जाते हैं, तभी आपका सुझाव क्यों

आता है, तभी आपके दिमाग में क्यों आता है? जब आप यहां थे तो इन चीजों को क्यों नहीं कर सके? यही एक सवाल हम हमेशा करते रहेंगे, महोदय, मैं आपके माध्यम से उन्हें बताना चाहता हूं।

इस बिल पर चर्चा के दौरान यह बिन्दु भी सामने आया है कि विदेशों में जैसे Parliamentary Democracy में सदन की परंपरा है कि 200 दिनों तक सदन चले, निर्बाध ढंग से चले, यह बिल्कुल अच्छी परंपरा है, परन्तु हम सिर्फ चर्चा के लिए 200 दिन सदन बढ़ाने की बात करें, उसके साथ जो आत्म-नियंत्रण या आत्मानुशासन की चर्चा हम न करें, तो मुझे लगता है कि हमारा यही हाल रहने वाला है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि हम चेयर को वे सब अधिकार entrust करें, जो Western Parliamentary democracy में वहां की चेयर को है। अगर हम अनुशासनात्मक तरीके से चलते हैं तो वहां चेयर को यह अधिकार है कि उस पर कार्रवाई करे। मुझे याद है, जब मैं पहली बार इस संसद में आया, हमने यहां कई प्रश्न किए और संयोग से कई बार माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल पूछने का अवसर आया, लेकिन सदन नहीं चला क्योंकि सदन उन दिनों हंगामे में था। अगर इस प्रथा को हम तोड़ना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं सुझाव देना चाहूंगा कि आत्म-अनुशासन यहां हो। आपके माध्यम से मैं माननीय जयराम रमेश जी से कहना चाहूंगा कि वे इधर आकर बैठें लेकिन वे उधर क्यों चले गए, यह मैं आपको बताना चाहूंगा।

गांधी जी को लगभग 150 वर्ष हो गए हैं। जिन्होंने गांधी जी का नाम सिर्फ अपने राजनीतिक मकसद से, सत्ता के लिए भुनाया, अगर उन्होंने गांधी जी को याद रखा होता, तो आज शायद उन्हें इधर ही रहना होता, उसके पास अवसर होता, फिर इस विषय पर बहस करने की हमें जरूरत ही नहीं पड़ती कि संसद कैसे चले, इसकी उत्पादकता कैसे बढ़े और बेहतर तरीके से यह कैसे कामकाज करे, क्योंकि गांधी जी ने कहा था कि साधन और साध्य एक होना चाहिए। बाद में डा. लोहिया ने उसी बात को कहा कि हमारी कथनी और करनी एक होनी चाहिए। भारतीय राजनीति में यह बात बहुत दूर तक जाएगी अगर हम कहने लगे कि संसद का सत्र छोटा क्यों होने लगा, ऐसा किन लोगों ने किया और किन वजहों से किया? हम इसके विस्तार में नहीं जाना चाहते लेकिन यह बात सही है कि कहीं से इसकी शुरूआत हो और यह काम हो। आपके माध्यम से हम सदन से अनुरोध करना चाहते हैं कि इसमें हम आपके साथ हैं। मैं इस बिल का इसलिए भी समर्थन करता हूं कि कम-से-कम देश के जो बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं, जो आते ही नहीं, आज से 20 वर्ष बाद यह देश किस हालत में पहुंचने वाला है, महज 10-15 वर्षों बाद दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने वाला है, तब उसके पीने के पानी की क्या स्थिति होगी, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की क्या स्थिति है, दुनिया का सबसे बड़ा माइग्रेशन गांवों से शहरों में होने वाला है, उसकी कोई तैयारी नहीं है और इस तरह के अनेक विषय हैं, जिन पर हमें बहस करनी चाहिए। आज मनुष्य का human survival कई चीज़ों से जुड़ा हुआ है, उन पर बहस नहीं है। मैं चाहता हूं कि इसके लिए सदन जरूर बेहतर तरीके से चले, लेकिन सदन चले, तो कम-से-कम गांधी जी को ही याद करके हम अनुशासित हों, मर्यादित ढंग से आचरण करें, लोकतांत्रिक आचरण हो। यह तो हम अभी भी कर सकते हैं, इसके लिए हमें बिल की जरूरत नही है। अगर हम ये करते हैं, तो 1950-60 के सदन की जो स्थिति थी, जो उसकी मर्यादा थी और इसका शोक गीत आज कल हम लोग अक्सर सुना करते हैं कि यह सदन वह था, आज यह हो गया, वह तो तुरंत खत्म हो सकता है। इसके लिए तो हमारे प्रयास की जरूरत है। हममें से हर एक के प्रयास की जरूरत है।

[श्री हरिवंश]

सर, मैं दो और छोटी चीज़ें कहना चाहूंगा। चूंकि हम देश की नीतियां बनाते हैं और कहा गया कि देश की सबसे बड़ी चौपाल, पंचायत यही है, बिल्कुल सही है, पर हमारे यहां महाभारत में कहा गया, 'महाजनो येन गतः स पन्थाः', जो लोग ऊपर बैठे हैं, श्रेष्ठ पदों पर हैं, उनका आचरण जनता फॉलो करती है। जब हमने यह काम करना शुरू किया कि 1960-70 में जो इस संसद की ग्लोरी थी, इस राज्य सभा की ग्लोरी थी, उसको खत्म करना शुरू किया, तो गांव की पंचायतों तक वह हालत पहुंच गई, इसलिए हम कम-से-कम यह आत्मनियंत्रण रखें।

महोदय, अंतिम बात यह है कि हम गांधी जी की जन्मशती का 150वां वर्ष मना रहे हैं और हर व्यक्ति, हर दल को, मैंने सुना है कि वे गांधी की बात करते ही हैं और करनी चाहिए, पर कम-से-कम गांधी जी ने अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं के लिए आश्रम में रहने के लिए जो आचार संहिता बनाई थी या जो लोग सार्वजनिक जीवन में जा रहे हैं, उनके लिए जो आचार संहिता बनाई थी, अगर हम कम-से-कम वह पालन करने लगें और जो सबसे पहले, जिन्होंने गांधी जी के नाम पर सत्ता पाई थी, अगर उन लोगों ने किया होता, तो आज इस मुल्क की यह हालत नहीं होती। आपको मालूम है कि गांधी जी ने उत्तराखंड में दो दिनों तक बैठ कर गीता पर टिप्पणी लिखी। उन्होंने उसमें लिखा कि जो कृष्ण ने कहा है, गीता में कहा कि ऊपर बैठे लोग जैसे करेंगे, नीचे वैसी चीज़ आएगी, तो कम-से-कम गांधी जी को याद करके हम सब अपना अनुशासित आचरण, बेहतर तरीके से काम, जो समय तय है, उसके तहत अपनी बात करना शुरू करें, तो अपने कंडक्ट से इस हाउस की वह ग्लोरी और रेप्युटेशन हम लोग पा सकते हैं, जो पहले थी। यह बात कहते हुए मैं इस बिल का समर्थन करता हूं और मैं उम्मीद करता हूं कि सदन का सत्र बढ़ेगा और सार्थक चर्चाएं होंगी, धन्यवाद।

उपसभाध्यक्ष (डा. सत्यनारायण जटिया): श्री संजय सिंह जी।

श्री संजय सिंहः उपसभाध्यक्ष महोदय, आज सदन के माननीय सदस्य, आदरणीय नरेश गुजराल जी के बिल के समर्थन में मैं अपनी बात कहने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैं इस विधेयक का समर्थन इसलिए करना चाहता हूं क्योंकि पूरा देश लोकतंत्र के इस मंदिर की ओर बड़ी उम्मीदों से देखता है। उसको उम्मीद होती हैं कि इस सर्वोच्च सदन में हमारे लिए नीतियां बनेंगी, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, मजदूरों के लिए, रिक्शे वालों के लिए, ऑटो वालों के लिए, फुटपाथ पर रहने वालों के लिए, लेकिन जब वह आम आदमी देखता है कि सदन का पूरा समय सिर्फ आपस में बहस करने में, एक-दूसरे पर हल्ला-गुल्ला करने में, हाउस के बीच में यानी वेल के अंदर नारे लगाने में बीत जाता है, तो उसको कहीं न कहीं मन में पीड़ा होती है।

*[**उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता)** पीठासीन हुए]*

मान्यवर, इस सदन की गरिमा के बारे में हम लोगों ने बहुत कहानियां पढ़ी हैं। मुझे हिन्दुस्तान के प्रख्यात समाजवादी चिन्तक, आदरणीय रघु ठाकुर जी के साथ 14 साल काम करने का सौभाग्य मिला और जब मैं उनके साथ प्रशिक्षण शिविर में जाता था, तो वे बताते थे कि स्वर्गीय डा. राम मनोहर लोहिया, लोक सभा के अंदर जिनका कार्यकाल मात्र 5 वर्षों का रहा, उस लोहिया के बोलने पर सात

खंडों में मोटी-मोटी, हजार पन्ने, पांच सौ पन्ने की किताबें छपी हैं। उन्होंने इतने समय तक देश के सदन में जनता की बातों को उठाने का काम किया।

मान्यवर, जहां तक सदन की गरिमा का प्रश्न है, हम लोगों को यूट्यूब पर कुछ विडियोज़ देखने को मिलते हैं, पिछले दिनों मैंने यूट्यूब पर अटल जी का एक भाषण सुना। उस भाषण में लोक सभा में परमाणु नीति पर बहस हो रही थी। उस बहस में स्वर्गीय श्री चन्द्रशेखर जी देश के पूर्व प्रधान मंत्री के तौर पर परमाणु नीति पर बोल रहे थे, उसमें उनका मत सरकार से अलग था। उसका जवाब देने के लिए खड़े हुए तत्कालीन प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा कि मुझे खेद है कि मैं देश के पूर्व प्रधान मंत्री श्री चन्द्रशेखर जी की बातों से असहमत हूं। महोदय, यह उनका अपनी बात कहने का तरीका था। इस सदन में इस सरलता सहजता के साथ एक-दूसरे से संवाद होता था।

उपसभाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र के चार स्तंभ हैं-कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और पत्रकारिता, लेकिन आज कहीं से कोई उम्मीद नज़र नहीं आती है। आप कार्यपालिका को देखिए, उसमें अधिकारी अपनी मनमानी करते रहते हैं। भ्रष्टाचार जारी है, उस पर कोई अंकुश नहीं है। विधायिका को देखिए, उसमें काम नहीं होता है। न्यायपालिका को देखिए, उसमें करोड़ों केस पेंडिंग पड़े हुए हैं। न्यायपालिका में फरियाद सुनने वाला कोई नहीं है, लोग सालों-साल से न्यायालय के चक्कर काट रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पत्रकारिता की हालत यह है कि कल देश के तीन प्रतिष्ठित पत्रकारों को सत्ता पक्ष का विरोध करने के नाम पर एक टी.वी. चैनल से बाहर कर दिया गया। मुझे ऐसी घटनाओं पर शर्म आती है। लोगों से बोलने की आज़ादी छीनी जा रही है, लोकतंत्र में अपनी बातें कहने की आज़ादी छीनी जा रही है। महोदय, यह लोकतंत्र का सर्वोच्च सदन है, सर्वोच्च मंदिर है। अगर हम लोग इस मंदिर में अपनी पीड़ा, अपनी बात नहीं रख पाएंगे, तो मुझे यह नहीं लगता कि देश में कोई और माध्यम जनता की बात को आगे पहुंचाने का है। हमसे लोगों की उम्मीदें होती हैं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने पिछले दिनों शिक्षा मित्रों के मुद्दे पर अपनी बात रखी थी। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुहागिन महिलाओं ने बेरोज़गारी से पीड़ित होकर अपने सिर मुंडवाए। माननीय एच.आर.डी मिनिस्टर साहब यहां बैठे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरे देश में प्रेरक शिक्षक रखे गए थे, जिनकी संख्या पांच लाख से ज्यादा है। आप उनको बहुत मामूली मानदेय की राशि देते थे। अब वह राशि पिछले 32 महीने से मिलनी बंद है, वे लोग भुखमरी के कगार पर हैं। एक इक़बाल साकिब नाम के लड़के ने मुझे बिहार से फोन किया और वह फोन पर बात करते-करते रोने लगा। उसने मुझसे कहा कि आप लोग वहां बैठे हैं, आप लोग हमारी बात क्यों नहीं उठाते? हमें 30 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, हम लोग मर जाएंगे, हमें कौन पूछने वाला है? मैं कहना चाहता हूं, इस सदन में चर्चा नहीं होती है। यहां हम लोग एक-दूसरे पर आरोप-प्रत्यारोप में समय बर्बाद कर देते हैं और जब यहां से बाहर निकलते हैं, तो इसी गैलरी में एक-दूसरे से बहुत अच्छे से बात करते हैं, गले भी मिलते हैं। जब हम सेंट्रल हॉल में जाते हैं, तब साथ में बैठकर चाय भी पीते हैं, आराम से खाते-पीते हैं। तब एक-दूसरे के प्रति कोई दुर्भावना नहीं होती है, लेकिन सदन में जनता की बात नहीं उठती है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि श्री नरेश गुजराल जी ने एक बहुत अच्छी पहल की है, बहुत ही सार्थक कदम उठाया है। मैं समझता हूं कि आज सरकार को इच्छा-शक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि

[श्री संजय सिंह]

आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप सदन नहीं चलने देना चाहते हैं। आपके ऊपर सवाल उठता है कि आप इस सदन के कार्यकाल को छोटा करना चाहते हैं। यह आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, एक सुअवसर है। जब सारा का सारा विपक्ष इस बिल के समर्थन में है और सत्ता पक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि हम इस बिल के समर्थन में हैं, तो आप इस बिल को पास कीजिए।

महोदय, एक बात की चर्चा श्री हरिवंश जी और श्री जयराम रमेश जी ने भी की कि हमारे लिए भी कुछ आचार संहिताएं तय होनी चाहिए। अगर कोई कर्मचारी अपने ऑफिस में नहीं जाता है, दस दिन तक नहीं जाता है, तो उसको नोटिस मिल जाता है। अगर वह एक महीने नहीं जाता है, तो उसके सस्पेंशन की कार्रवाई हो जाती है। अगर वह ऑफिस नहीं जाता है, तो उसकी तनख्वाह कट जाती है, लेकिन यहां पर पार्लियामेंट के मेंबर्स आएं या न आएं, दस्तखत करें या न करें, जितनी देर मन हो, वे बैठें, फिर चले जाएं, उनके लिए किसी भी प्रकार का कोई नियम, कोई आचार संहिता नहीं है। वे अपना काम मनमाने ढंग से करते हैं। श्री वि. विजयसाई रेड्डी जी ने यहां पर जो कहा कि जो लोग इस सदन में आए हैं, और वे काम नहीं करते, तो उनकी तनख्वाह की कटौती का प्रावधान किया जाना चाहिए, इस बात का मैं समर्थन करता हूं।

उपसभाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं सिर्फ एक बात कहूंगा कि इस सदन ने डा. लोहिया जी को भी देखा है, श्री मधु लिमये जी को भी देखा है, इस सदन ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी देखा है, इस सदन ने हिन्दुस्तान के ऐसे तमाम लोगों को देखा है और जय जवान-जय किसान का नारा देने वाले स्वर्गीय लालबहादुर शास्त्री जी को भी देखा है। हमारी उस परम्परा को कायम रखने के लिए, लोकतंत्र में जनता की बातों का सर्वाच्च सदन में सार्थक बहस के ज़रिए समाधान करने के लिए इस सदन का न्यूनतम 120 दिन चलना जरूरी है। आप 15 दिनों के स्पेशल सेशन की जो बात कर रहे हैं, वह प्रावधान भी लाया जाए, हम उसका भी समर्थन करेंगे। इन्हीं बातों के साथ, अंत में मैं इतना ही कहूंगा कि नरेश गुजराल जी जो यह बिल लाये हैं, इसका मैं आम आदमी पार्टी की ओर से हृदय की गहराइयों से समर्थन करता हूं और आपको बधाई और धन्यवाद देता हूं कि आपने यह पहल की है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री नारायण लाल पंचारिया : दिल्ली की असेम्बली कितने घंटे चलती है?...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): डा. सत्यनारायण जटिया जी।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have a suggestion. ...*(Interruptions)*...

श्री संजय सिंह: सर, माननीय सदस्य की ओर से एक सवाल आया है कि पूरे देश की विधान सभाओं के कार्यकाल का आकलन किया जाए और दिल्ली की विधान सभा कितने घंटे चलती है, उसका भी आकलन किया जाए। इसके लिए मैं आपका खुले तौर पर स्वागत करता हूं। विधान सभाओं पर भी नियम लागू कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। यह आपने अच्छी बात कही है। आप हमारी बातों का समर्थन कर रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): ठीक है। डा. सत्यनारायण जटिया जी।

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, I have a suggestion to make. ...*(Interruptions)*...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपका क्या suggestion है?

SHRI JAIRAM RAMESH: Sir, since everybody agrees, why not call for a vote on the Bill right now? ...*(Interruptions)*... Let us call for a vote right now. ...*(Interruptions)*...

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री; तथा सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय गोयल): फिर डिस्कशन की जरूरत क्या थी? ...**(व्यवधान)**... आपने अपना भाषण कर लिया, अब आप कह रहे हैं कि सीधा वोट कर लो! ...**(व्यवधान)**...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Please sit down. ...*(Interruptions)*... There are other speakers also. Mr. Hussain Dalwai is there from that side. Dr. Sanjay Sinh is also there from that side.

श्री विजय गोयल: आप कमाल करते हैं, जयराम रमेश जी! आप अपना भाषण करने के बाद कहते हैं कि वोट कर लो! ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अभी दो-तीन स्पीकर्स और हैं।

श्री नारायण लाल पंचारिया: सर, यह विषय बहुत गंभीर है। ...**(व्यवधान)**...

श्री प्रकाश जावडेकर: सर, इस पर मुझे भी बोलना है। ...**(व्यवधान)**...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): जटिया जी, आप बोलिए।

डा. सत्यनारायण जटिया: माननीय उपसभाध्यक्ष जी, सदन का ध्यान काम की ओर निश्चित रूप से आकर्षित करने के लिए श्रीमान् गुजराल जी ने जो एक अवसर उपलब्ध कराया है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। हम लोकतांत्रिक परम्परा के लोग हैं। लोक सभा में अध्यक्ष की आसंदी के ऊपर जो बोध वाक्य लिखा है, वह है - "धर्मचक्र-प्रवर्तनाय।" समाज का संचालन करने के लिए जो-जो व्यवस्था देनी है, उसको निर्देशित करने का एक उपाय यह संसद भी है। हम जानते हैं कि हमारी इस परम्परा को स्थापित करने के लिए हमारे भारत के संविधान में सब प्रकार के प्रावधान किए गए हैं और भारत के संविधान का जो Preamble है, उसमें भी बड़े स्पष्ट रूप से हमारा ध्येय लिख दिया गया है। वह उद्देशिका है- "We, the People of India, having solemnly resolved to constitute India into a Sovereign, Socialist, Secular, Democratic Republic and to secure to all its citizens, justice, social, economic and political..." यह जो Preamble में प्रारंभिक रूप से कहा गया है, वह justice है, liberty है, equality है, fraternity है, यानी वह न्याय, स्वतंत्रता, समता, समानता और बंधुता है। सबको समानता का अधिकार है, इससे कम में समझौता कैसा? कहीं स्वर्ग है, तो स्वर्ग-मोक्ष से भी इन्कार, तो ये ज़िन्दगी के मकसद हैं। यह कहा गया है:

"तू ज़िन्दा है तो ज़िन्दगी की जीत पर यक़ीन कर,
यदि कहीं है स्वर्ग तो, उतार ला ज़मीन पर।"

[डा. सत्यनारायण जटिया]

हम तो इस लोकतंत्र की पद्धति से यहीं स्वर्ग बनाएंगे। इसलिए इस पद्धति में जो तीन प्रमुख विधाएं लिखी हुई हैं, उनमें से एक विधायिका है और विधायिका को समय होना चाहिए। आखिर, विधायक चुनकर क्यों आते हैं, संसद सदस्य चुनकर क्यों आते हैं? अब यह बात अलग है कि उनकी जनता के प्रति जो जवाबदेही है, उस जवाबदेही का निर्वहन करना, संसद की कार्यवाही को करना और उसके अपने जो एक बहु-उद्देश्यीय-बहुआयामी आचरण होते हैं, उन्हें बहुत सावधानीपूर्वक करने होते हैं। जो चुनकर आते हैं, जो सीधे वोटों से चुनकर आते हैं, जो विधान सभाओं में चुनकर आते हैं, जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में चुनकर आते हैं और जो वार्ड में नगरपालिका कॉरपोरेशन में चुनकर आते हैं, उनका सामाजिक व व्यावहारिक जीवन बड़ा चुनौतीपूर्ण है। हम तो राज्य सभा में हैं। हमको अनुभव के कारण से राज्य सभा में होना चाहिए, लोग ऐसा हमारे बारे में मानते हैं। उस अनुभव से हमको व्यावहारिक रूप से किस तरह से कानून और देश की सहायता करने के लिए उपाय करने चाहिए, इसके लिए कहा गया है, इसलिए हम इस संवाद की प्रक्रिया के माध्यम से कुछ निष्कर्ष निकालना चाहते हैं। जब हम किसी भी बात या hypothesis के बारे में विचार करते हैं तो वाद-प्रतिवाद और संवाद ऐसा होता ही है। इसलिए यदि किसी सरकार ने अपना पक्ष रखा है, तो उसके बारे में चर्चा करना, उसके प्रतिवाद को करना, उस चर्चा का निष्कर्ष क्या है, उसको स्वीकार करना आदि वाद-प्रतिवाद और संवाद के माध्यम से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लोकतंत्र को पुष्ट करने का काम करते हैं। हमारे लिए कहा गया है कि 'सं गच्छध्वं' हम सब राष्ट्र के कार्य के लिए साथ-साथ चलें, 'सं वदध्वं', हम बातचीत करें व चर्चा करें, 'सं वो मनांसि जानताम्' हम मन से सबको समझें और मन से समझने के लिए निकट आना होता है, मन से समझने के लिए एक-दूसरे की भावनाओं का आदर करना होता है, यदि हमने एक-दूसरे की भावनाओं का आदर नहीं किया, हमने उसकी बात समझने के लिए अवसर नहीं निकाला, तो निश्चित रूप से कोलाहल होगा। कोलाहल किसी भी समस्या का हल नहीं है। यह बात अलग है कि देश मे जिस प्रकार की राजनीति और जिस प्रकार का वातावरण हो गया है, उसमें जहां हर प्रकार का प्रदूषण हुआ है, उस प्रदूषण से हम भी वंचित नहीं हैं। ऐसी स्थिति में जैसा कहा गया है कि "सं गच्छध्वं स वदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्" अब मनपूर्वक समझना है। "समानो मन्त्रः', फिर हमारा मंत्र एक ही है।

"राष्ट्रभक्ति ले हृदय में हो खड़ा यदि देश सारा,
संकटों पर मात कर यह राष्ट्र विजयी हो हमारा ।।"

इस राष्ट्र के लिए 'राष्ट्राय इदम् न मम, राष्ट्राय स्वाहा' राष्ट्र के लिए हमारा सब कुछ समर्पण करना, ऐसा उद्देश्य लेकर ही काम करने का ध्येय हमारा सबका है। राष्ट्र के लिए जब हम काम करने वाले हैं, तो बाकी का संसद का सारा समय इस प्रकार के कामों में चला जाए, मुझे तो कभी-कभी बड़ा आश्चर्य और अचम्भा भी लगता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं संसद में आ पाऊंगा या नहीं आ पाऊंगा। मैं एक सामान्य कार्यकर्ता रहा और सामान्य कार्यकर्ता होने के नाते जब हम जनसंघ में काम करते थे, तो सत्ता में आना बहुत दूर-दूर की बात हुआ करती थी। हमारे यहां यदि कहीं किसी नगरपंचायत या नगरपालिका में पार्षद जीत कर आ जाता था, तो उस पार्षक के जीतने के समाचार को लेकर हम अपने-अपने स्थानों पर जुलूस निकाला करते थे कि वहां पर जीत गए हैं, यहां नहीं जीते

हैं। आज इन्हीं परिस्थितियों से निकलकर कार्यकर्ता के नाते से हम जब चले थे, तो हमें नहीं पता था कि हम कभी संसद में आ पाएंगे या कभी मैं संसद में आ पाऊंगा। सहयोग की बात है कि भारतीय जनसंघ का काम करते-करते आपातकाल का सामना करना पड़ा। आपातकाल में रहने से मुझे यह फायदा हुआ कि वहां पर मैंने अपनी लॉ की परीक्षा पास कर ली और वहीं पर हमारा थिंकर्स को पढ़ने का काम हो गया, तो सारे थिंकर्स कामटे से लेकर गांधी तक जितने भी थिंकर्स थे, मार्क्स वगैरह को पढ़ लिया और बाहर आकर पीएचडी कर लिया। निश्चित रूप से राजनीति की राह पर और इस प्रवाह पर चलते-चलते मुझे जो संस्कार मिले हैं, उन संस्कारों के कारण जब हम यहां पर आ गए हैं, यहां पर आकर जब हम देखते हैं कि सारा दिन बिना काम किए हुए चला गया, तो मन को क्षोभ होता है, मन में क्लेश होता है कि क्या हम इसीलिए हैं? ज़िन्दगी का ज्यादातर समय इसी में निकल गया, क्योंकि संयोग से मुझे ९ लोक सभा के चुनाव लड़ने का मौका मिला, विधान सभा के तीन चुनाव लड़ने का मौका मिला, ऐसे कारणों से भी सब समय चुनावों में गया है। काम के लिए जितना समय चाहिए था, उतना समय नहीं निकल पाया है। जब हम ऐसा विचार करते हैं, तो मेरे मन में काफी तकलीफ होती है। स्वाभाविक रूप से हर कोई सोचता होगा, तो उसको ऐसा लगता होगा कि हम जिस उद्देश्य के लिए यहां पर आए हैं, वह पूरा नहीं हो रहा है। गुजराल जी ने कहा है कि यह सारी चर्चाओं के माध्यम से सुलझ सकता है, आखिर लोकतंत्र पद्धति क्या है? लोकतंत्र विचार-विमर्श की ही पद्धति है। उस वक्त जब युद्ध होते थे और युद्ध होने के बाद कोई जीत जाता था, पर जीत कर क्या जीतता था? इतने लोगों की क्षति हो जाती थी, जन-धन की जितनी क्षति हो जाती थी, जितना नुकसान हो जाता था, क्या कोई उसकी भरपाई कर सकता था? नहीं। हम वाणी के आधार पर, अपनी जो बुद्धि है, अपनी जो मेधा है, उस मेधा के द्वारा उपाय ढूंढ़कर निकाल लेते हैं। तर्कों के आधार पर तर्क होते हैं। किसी के लिए वे तर्क होते हैं, किसी के लिए कुतर्क होते हैं, तो किसी के लिए तथ्य होते हैं। इसी आधार पर हमें जो बुद्धिमानी मिली हुई है, उस बुद्धिमानी का हम इस प्रकार से उपयोग करते हैं। कभी-कभी उसका, ऐसा दूसरे लोग कहते हैं, हम उसका दुरुपयोग करते हैं। यह मेधा जो मिली हुई है, यह बुद्धि जो मिली हुई है, हमें उसको समाज के हित में लगाना चाहिए।

"ओं यां मेधां देवगणाः पितरश्चोपासते।
तया मामद्य मेधया ग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा।"

जो हमें यह बुद्धि, यह मेधा मिली हुई है, यह हमारे गुरुजनों के अनुसार समाज के कामों के लिए, समाज के कल्याण के लिए और उन पर विचार करने के लिए लगनी चाहिए। यह करने के लिए हमें यह मिली हुई है। हमारे यहां कहा गया है - 'सत्यमेव जयते'। सत्य की विजय होती है। यह हमारा अपना बौद्ध वाक्य भी है। *"सत्यमेव जयते नानृतम।"* सत्य की विजय होती है, असत्य की नहीं होती है। "सत्येन पंथा विततो देवयानः" यही दिव्यता का मार्ग है। "यत्र तत् सत्यस्य परमम् निधानम्" - यही हमारे लिए समाधान का कारण है। हम सब लोग यहां पर बैठकर सत्य का अनुमान ही तो कर रहे हैं - परंतु सत्य का अनुसंधान करते-करते इतने व्यवधान, तो उसमें से कहां निकलेगा समाधान? सत्य को सत्य समझना और समझाना बहुत कठिन है।

"सच को न समझा, न सच को जाना।
सच सदा से रहा अनसमझा, अनजाना।"

[डा. सत्यनारायण जटिया]

सच यह है कि सच को सच बताएं और बताएं कैसे? और सच यह भी कि सच को सच समझाएं तो समझाएं कैसे? क्योंकि सच के रास्ते में मुश्किलें हैं ज्यादा, बोलो तुम्हारा क्या है इरादा? साथ चल सको, तो साथ में आओ और न चल सको तो यहीं ठहर जाओ। सच का कहां कारवां होता है, सच तो हमेशा अकेला चला है। तभी तो कहा है लोग आते गए और कारवां बनता गया। इसलिए सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर जिस तरह हमारे मार्गदर्शी नेताओं ने हमारा मार्गदर्शन किया है, हमें निश्चित रूप से उसका पालन करना जरूरी है - जितना समय हमें यहां पर मिलता है उतने समय में। अब यह बात मैं कह रहा हूं और मुझे पता है कि आगे क्या होने वाला है। क्योंकि कहना है और मौका मिला है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करना है, तो जरूर मैं इस तरह से बात को कहना चाहूंगा। मुझे याद है, मैं एक विषय को उठाना चाहता था। मैं तीन दिनों तक उस विषय को ज़ीरो ऑवर में उठाने के लिए देता रहा। एक दिन हंगामा हुआ। दूसरे दिन दिया, नहीं आया। तीसरे दिन भी दिया, वह फिर भी नहीं आया। फिर भी लगातार देता रहा, तो आखिर में आ ही गया। परंतु इतना करने के बाद आया, तो मुझे समझ में नहीं आया कि इतनी देर क्यों लगी? मैं यह प्रश्न मेरे मित्रों से पूछना चाहता हूं कि इतनी देर क्यों लगी? आखिर मैं जनहित की बात ही कहना चाहता था। ऐसी मुश्किल परिस्थितियां और चुनौतियां यदि इस लोकतंत्र के रास्ते में हैं, तो उसके लिए कोई दोषी नहीं है। हमें ही मिलकर इस पद्धति को सुधारने के लिए उपाय करना होगा। यदि हम चाहते हैं कि इस पद्धति में सुधार हो तो निश्चित रूप से हरेक व्यक्ति को अपने-अपने तरीके से सोचना होगा। यदि हम सोच लेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा वह मार्ग कठिन भी नहीं होगा। इस रास्ते पर मनुष्य होने के नाते चलना होगा। मनुष्य होना बड़ा मुश्किल है। हमारे यहां तो कहा हैः

"बड़े भाग मानुष तन पावा,
सुर दुर्लभ सद् ग्रन्थन्हि गावा,
कबहुंक करि करुणा नर देहि,
देत ईस बिनु हेतु सनेही।"

यदि परमात्मा ने, प्रकृति ने हमें यह शरीर दिया है तो इस शरीर को देने के पीछे कोई तो उद्देश्य रहा होगा। यदि परमात्मा से हमें निस्वार्थ रूप से और लोक कल्याण के लिए यह जीवन मिला है तो निश्चित रूप से हमें उसे लोक कल्याण करने के लिए अर्पित करना ही चाहिए। लोक कल्याण के लिए उसे अर्पित करने की दृष्टि से हमें निश्चित रूप से बड़े उपाय करने होंगे, संयम बरतना होगा और जो हमारे लिए आचरण की मर्यादाएं हैं, उनका पालन करना होगा। हमारे जो आचरण हैं, उनमें सत्य है, अहिंसा है, अपरिग्रह है, अचौर्य है और ब्रह्मचर्य है। इस प्रकार से इन सारे नियमों का पालन करते हुए, व्यक्तिशः जीवन को आदर्श बनाकर, सामाजिक जीवन में इन सभी को अपना आदर्श बनाकर, संसद में जो हमें जनता ने भरोसा करके भेजा है, उस भरोसे पर खरा उतरने का काम करना होगा। हम एक ऐसा क्षितिज बनाएं, जिससे कि हम राष्ट्र की उन्नति के लिए, भारत में अपना यश स्थापित करने के लिए और लोक कल्याण के लिए हमें जो उद्देश्य मिला हुआ है, उसको पूरा करने का उपाय करें।

"क्षितिज तक प्रत्येक दिशि में, हम उठें नवप्राण भरने...

मैं conclude कर रहा हूं। ...**(व्यवधान)**...

4.00 P.M.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): He is concluding.

डा. सत्यनारायण जटिया: जब सत्यनारायण बोल ही रहा है, तो ...(**व्यवधान**)... मैं तो अपने कष्ट का निवेदन कर रहा हूं। यह सत्यनारायण की कथा नहीं है। ...(**व्यवधान**)... रमेश जी, यह सत्यनारायण की कथा नहीं है, यह मेरी व्यथा है, ये मेरे कष्ट हैं, इसलिए मैं चाहता हूं कि हम एक अच्छा क्षितिज बनाएं, जिससे चर्चा करके लोकतंत्र को सार्थक करने के उपाय करें।

"क्षितिज तक प्रत्येक दिशि में, हम उठें नवप्राण भरने,
नवसृजन की साध लें, हम उठें निर्माण करने,
साधना के दीप शुभ हों, ज्ञान का आलोक छाए,
नष्ट तृष्णा के तिमिर हों, धाम अपना जगमगाए।"

निश्चित रूप से इस अवसर पर हम राष्ट्र के निर्माण के लिए अपना योगदान कर पाएं, ऐसी शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए मैं पुनः यह कहना चाहता हूं कि गुजराल जी ने विधेयक लाकर एक अच्छा काम किया है और राष्ट्र को सोचने के लिए, हम सबको विचार करने केलिए प्रेरित किया है कि जो समय मिल रहा है, उस समय का अधिकतम सदुपयोग कैसे किया जा सके और अधिकतम समय चर्चाओं में कैसे निकाला जा सके, जो हमारी समितियां हैं, जो रिपोर्ट देती हैं, उन पर चर्चाएं कैसे की जा सकें, उसको सार्थक बनाने के लिए जो-जो उपाय करने चाहिए, वे हमें करने हैं - इतना निवेदन करते हुए मैं कहना चाहता हूं कि:

"अंदाज़-ए-बयां गरचे बहुत शोख नहीं है,
शायद कि उतर जाए, तेरे दिल में मेरी बात।"
हिन्दुस्तान ज़िन्दाबाद।

श्री हुसैन दलवई (महाराष्ट्र): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैंने डा. सत्यनारायण जटिया साहब का बौद्धिक सुना, मुझे अच्छा लगा। मैं भी एक ऐसी परम्परा से आया हूं, जहां बौद्धिक चलता था - आपका अलग और हमारा अलग था। गुजराल साहब बहुत अच्छे समय पर यह बिल लेकर आए हैं। हम सब लोग बड़ी गंभीरता से इसके ऊपर बहस कर रहे हैं, यह अच्छी बात है। कुछ बातें खुल्लम-खुल्ला करना बहुत जरूरी होता है। हमेशा यह कहा जाता था कि पार्लियामेंट का सेशन चार महीने चलता है। बजट सेशन दो महीने और एक-एक महीना करके दो बार और सेशन चलता है। यह पार्लियामेंट असेंबली नहीं है, यहां बहुत सारे बिल्स आते हैं। कल ही माननीय पार्लियामेंटरी अफेयर्स मिनिस्टर, गोयल साहब ने अगले हफ्ते क्या-क्या होने वाला है, क्या-क्या करना बाकी रहता है, जब यह लिस्ट पढ़ी तो ऐसा लगा कि आगे एक साल अगर पार्लियामेंट चलेगी तो यह भी लिस्ट पूरी नहीं होगी। पार्लियामेंट का जो सेशन तीन-तीन हफ्ते का किया गया है, वह बिल्कुल गैर है। मैं सरकार से विनती करूंगा कि जो चार महीने सेशन चलता था, उसे चलने दें। गुजराल साहब तो कहते हैं कि एक स्पेशल सेशन भी लाइए। कई बातें ऐसी होती हैं, जैसे अभी एनआरसी का मामला आया, उसके ऊपर दो-चार दिन तक बहस होनी चाहिए, लोगों का उस संबंध में क्या कहना है, उसे सुनना चाहिए, लेकिन इस तरह की बहस नहीं

[श्री हुसैन दलवई]

होती है। बहस भी लिमिटेड होती है। मैंने तीन-तीन दिन तक लगातार lynching के ऊपर प्रस्ताव दिया, लेकिन मुझे कोई मौका नहीं दिया गया। तीन दिन से मैं महाराष्ट्र के पुणे के संजय नाहर का सवाल उठाना चाहता हूं। उनके ऊपर हमला होना संभव है, उनको threat दिया गया है, लेकिन मुझे वह सवाल उठाने का मौका नहीं मिला। कई सवाल हैं। 20 तारीख को हमारे नरेन्द्र दाभोलकर को मारा गया, उसको पांच साल हो गए हैं, आज तक, जिन्होंने मारा, किसने मारा वह सबको मालूम है। कौन सा संगठन उसके साथ है, सबको पता है। जैसे गांधी जी को मारने वाला कौन सा संगठन है, यह पटेल साहब ने लिखा था, उसी तरह से यह संगठन कौन सा है, वह सबको मालूम है, तो भी उसके ऊपर कुछ नहीं हुआ। पंसारे साहब मारे गए उसके ऊपर भी कुछ नहीं हुआ, गौरी लंकेश मारी गईं, कलबुर्गी साहब मारे गए, लेकिन कुछ नहीं होता है। इस देश में इस तरह से हिंसा बढ़ना चिंता की बात है। कौन क्या खाता है, कौन क्या नहीं खाता है, इसके संबंध में हमारी महाराष्ट्र सरकार एक बिल लाने वाली थी, परंतु लाई नहीं क्योंकि गड़बड़ी हो गई। किसके घर में क्या हो रहा है यह देखने के लिए पुलिस चूल्हे तक जाएगी? अगर मेरे घर में मटन बन रहा है और पुलिस यह कहती है कि यह गौमांस है, यह सच है या नहीं है यह 3-4 महीने के बाद तय होगा, लेकिन मैं 3-4 महीने तक अंदर रहूंगा। मेरे ख्याल से तलाक का जो मामला है, उसमें भी बातचीत करके ठीक ढंग से हल निकाला जा सकता है। यह तीन तलाक इस्लाम में है ही नहीं, लेकिन इस पर ठीक ढंग से बहस ही नहीं हुई है। इस पर बहस करने के बजाय, इसका हल निकालने के बजाय, इसे इलेक्शन का मुद्दा बनाया जाता है। एन.आर.सी. के मुद्दे को भी इलेक्शन का मुद्दा बनाया गया है। किसी दूसरे देश के लोग यहां रह रहे हैं, तो उसका समर्थन कांग्रेस पार्टी नहीं करती है, हम तो बिल्कुल ही नहीं करते हैं, लेकिन उनकी जहां पर सरकार है, वहां ऐसे लोगों ने जगह ली है, बड़े पैमाने पर जमीन ली है, यहूदी लोगों ने जमीन ली है, अलग-अलग देशों के लोगों ने ली है। अगर इस पर ठीक ढंग से सवाल होते या चर्चा होती, बहस होती, तो हम यह बता देते। महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है। बिहार का मामला आ गया कि बच्चियों के साथ बलात्कार हुए और आश्रम में हुए। यह बहुत बुरी बात है। आज हमारे देश का पूरी दुनिया में ऐसा नक्शा जा रहा है, ऐसी इमेज जा रही है कि इस देश मे मत जाइए, यहां अत्याचार होते हैं। अगर इसके बारे में हमें सीरियसली बहस करनी है, तो मेरे ख्याल से वक्त की पाबन्दी लगाना गलत बात है। जावडेकर साहब यहां हैं, हम दोनों महाराष्ट्र की विधान परिषद् में थे। जब बिल के ऊपर चर्चा होती थी, तो टाइम का कोई बंधन नहीं होता था। हमारे एक साथी ने तो तीन दिन लगातार भाषण किया था। आज आप बहुत महत्वपूर्ण बिल भी घंटा-डेढ़ घंटा चर्चा करके पास कर देना चाहते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है। हर मसले पर ठीक ढंग से बहस करके उसका हल निकल सकता है। मैं यह मानता हूं कि आपको छोड़कर यहां के सारे लोग उदारमतवादी हैं। आप ज़रा कट्टर मत वाले हैं, इसलिए कट्टरपंथी हैं। यहां पर बहस हुई थी कि लोग वेल में जाते हैं, वे क्यों जाते हैं? डॉ. लोहिया ने इस बारे में कहा था कि पांच साल तक ज़िंदा कौमें चुप नहीं रह सकतीं, जिंदा कौमें इंतजार नहीं कर सकतीं। यह सही बात है कि अगर यहां कुछ नहीं होता है, तो लोग वेल में जाएंगे। उनके साथ सरकार का बहस करना जरूरी है। अरुण जेटली साहब ने यहां पर कहा था कि हम कोई भी सवाल उठाते, उसके ऊपर बहस होनी चाहिए। वे लोग वेल में उस वक्त भी जाते थे। वे लोग जब यहां थे, तो वेल में जाने का काम वे भी करते थे। लेकिन हाउस चलाना, यह सरकार का काम है, यह बात जेटली जी बार-बार हमें बताते थे और यह

सही बात है। आज सरकार यह जिम्मेदारी नहीं ले रही है। यह अच्छी बात है, ऐसा मैं नहीं समझता हूं। मैं एक-दो मिसालें देना चाहता हूं। जब इस देश को आज़ादी मिली, पार्लियामेंट चल रही थी, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार पार्लियामेंट में बैठते थे। एक दफा फॉरेन जर्नलिस्ट ने उनको पूछा कि आप इतनी देर तक बैठते हो, आप इतने बड़े देश के प्रधानमंत्री हो। क्यों बैठते हो इतनी देर तक? तो उन्होंने जवाब दिया कि हमारी नयी पार्लियामेंट है। मैं जो नई परम्परा डालूंगा, वह आगे जाकर चलेगी। हमारे प्रधानमंत्री गुरुवार को 15 मिनट के लिए आते हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयलः ऐसा नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकरः ऐसा कहना ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयलः आप पंडित जवाहरलाल नेहरू की तारीफ करिए, उसमें कोई इंकर नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री हुसैन दलवईः हमारे बड़े-बड़े नेता 15 मिनट के लिए सदन में आते हैं। जब वे जाते हैं, तो उनके लोग खड़े होकर नमस्कार करते हैं, उनकी तरफ भी देखते नहीं हैं। ...(**व्यवधान**)... यह आपके लोगों ने मेरे से तकरार की है कि क्या बोलें, यह हो रहा है। मेरे ख्याल से हमें यह समझना चाहिए। जब वी.पी. सिंह साहब प्रधानमंत्री थे, मैं उनके ऑफिस में किसी काम के लिए बैठा था, हमारी बातचीत शुरू हुई थी, इतने में हाउस में कुछ गड़बड़ी हुई, वे मुझे बोले आप ज़रा ठहरिये, मैं हाउस में जाता हूं कि वहां क्या हो रहा है। वे दौड़ते-दौड़ते हाउस में गए। मेरे ख्याल से इसको सम्भालने का काम नेता लोगों को करना पड़ता है और उनके लिए यह काम करना बहुत जरूरी है। जावडेकर साहब, यहां पर जो चर्चा होती है, उसका बहुत असर होता है। इस देश की गरीबी की चर्चा करते वक्त डा. लोहिया बोले थे कि सबसे गरीब जो आदमी है, उसकी दिन की आमदनी खाली तीन आना है। इसके ऊपर आठ दिन बहस सदन में चली, उसके बाद इकोनॉमिस्ट्स ने सही मायने में देश में कितनी गरीबी है, उसके बारे में बात की। यहां गोपालन साहब थे, भूपेश साहब थे, इन लोगों ने कुछ परंपराएं रखी हैं। हमारे मधु लिमये साहब थे, मधु दंडवते साहब थे। ...(**समय की घंटी**)... सर, आप घंटी बजा रहे हैं।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): आपको बोलते हुए दस मिनट का समय हो गया है और भी बोलने वाले कई स्पीकर्स हैं। ...(**व्यवधान**)... दस मिनट का समय हो गया है। फिर सभी सदस्यों को बोलने का समय नहीं मिल पाएगा।

श्री हुसैन दलवईः सर, मेरा कहना है कि ...(**व्यवधान**)... मैं सरकार से दरख्वास्त करता हूं कि आप सबको एक नज़र से देखिए यानी पूरे देश को एक नज़र से देखिए। यह हिन्दू है, यह मुसलमान है, यह क्रिश्चियन है, इस तरह से मत देखिए। मेरे भी समाज के कुछ लोग गलतियां करते हैं, इस बात को मैं मानता हूं और मैं उसके खिलाफ भी बोलता हूं, लेकिन सभी को समझदारी से चलना चाहिए। किसी के साथ मारपीट करना, जान से मारना, यह बिल्कुल गलत बात है। यहां से संदेश जाना चाहिए कि इस तरह का कोई कृत्य करेगा, तो वह बिल्कुल नहीं चलेगा। अगर कोई इस तरह का कृत्य करेगा, तो उसको अंदर करेंगे, कोई संगठन करेगा, तो उसके ऊपर पाबंदी लगायेंगे, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। अगर यहां से संदेश ठीक ढंग से जाएगा, तो ऐसे कृत्य नहीं होंगे, यह मैं बोलता हूं। जैसी बहस

[श्री हुसैन दलवई]

यहां पर होती है, वैसी ही बहस हर एक समाज में भी होनी चाहिए। हर बात का हल निकालना जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। मैंने जान-बूझकर यह बात यहां पर रखी कि सदस्यों को बोलने के लिए ज्यादा से ज्यादा टाइम देना चाहिए, बिल के ऊपर ठीक ढंग से बहस होनी चाहिए और जो महत्वपूर्ण सवाल आते हैं, उनके ऊपर टाइम की पाबंदी लगाना, वक्त की पाबंदी लगाना ठीक नहीं है। हर आदमी की अपनी भावना होती है, अपने जज्बात होते हैं, उनको express करने के लिए टाइम देना चाहिए। इतना ही बोलकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

SHRI D. RAJA (Tamil Nadu): Sir, I rise to support my good friend, Shri Naresh Gujral for moving this Bill at a critical point of time in our history. Sir, Parliament is supreme in our democracy. Parliament represents the will of the people. The Independent India began its journey as a parliamentary democracy. Dr. Ambedkar and the galaxy of leaders of that period were very clear that India has to emerge as a Democratic Republic. Dr. Ambedkar made it very, very clear that India can never become and should never become a theocratic State or country. That is number one. Dr. Ambedkar rejected the idea of Presidential form of Government in India. Dr. Ambedkar rejected the two-party system in India.

That we should keep in mind. Dr. Ambedkar advocated Parliamentary democracy, a multi-party democracy. When Dr. Ambedkar underlined this, we should understand what the basic characteristics of our democracy are. That is what we should try to ponder over. Now we are hearing many times, 'maximum governance, minimum Government'. That should not lead to minimum Parliament. If that happens, that will put the entire democracy in peril. That will be the beginning of authoritarian fascist rule in India. I am making it very clear from my point of view. Sir, we saw it in the history of Germany as to how Parliament was minimized and Parliament was attacked. Finally, what we witnessed was the fascist dictatorship. In a country like India, we cannot allow such a situation to emerge. India should remain as a democracy. If Parliament becomes minimum and Parliament's function becomes minimum, then democracy will die, democracy will not survive. That is what as Members of Parliament, we should think over. Sir, in this regard, I think in a country like India, Parliament should work for more number of days and our party is one of the parties which has been consistently demanding that Parliament should have minimum hundred sitting days. Now it can go up because the situation is emerging so complex and we should work for more days. The people of India look towards Parliament. Sir, there is a saying that the last faith for common people is Judiciary. In fact, the last faith for common people is Parliament. If Parliament fails, it means we fail our people, we fail our democracy. Whether we can do it, is what we ask ourselves.

Sir, as far as adjournments are concerned, I think we cannot put an end to adjournments at all. There will be occasions when there will be uproar in the House, there will be agitations in the House. The Parliament can get adjourned, the House can get adjourned, but it does not mean that we cannot increase the number of working days. We can work for more days and we can serve the interests of the people. After all, Parliament makes law and Parliament decides policies. Parliament should find time to discuss the policies concerning the country and its progress. It is of no use that we claim to be a Welfare State. I do not know whether we really are a Welfare State at this point of time. I ask everybody. Can we claim that we are a Welfare State at this point of time? The Government claims about *'Sabka Saath, Sabka Vikas'.* It is good demagogy, but is it happening in reality? What is happening in the country? Why is there no justice? All the time we repeat, justice-social, economic and political. Where is that justice? After 70 years of Independence, I am pleading here. Where is that justice? Have our people got social justice, economic justice, political justice? Sir, unprecedented inequality, discrimination in society, exploitation in society, ruthless exploitation, our people are living in such hardships. Parliament will have to serve our people, the toiling people from Kanyakumari to Kashmir, from Manipur to Maharashtra. They build this nation. They sweat, they toil, they build this nation. But, finally, they live in poverty, they live in squalor. How to lift them from such condition? This Parliament has that responsibility. That is why Dr. Ambedkar said that Parliament is a place where issues need to be discussed and Government must be held answerable and accountable. Otherwise, where else the Government can be held accountable, answerable if not in the Parliament. If Parliament does not function, who can hold them answerable and accountable? The Government, the Executive. Dr. Ambedkar precisely underlined the need for Parliament, the parliamentary democracy to make the Government more answerable and accountable. That is what we should think over, for which this Parliament will have to work more, and in this regard, I appreciate our good friend, Shri Naresh Gujral. He has moved this Bill, and it reflects the demand of the situation in which the country today is. The country is at a critical point of time, and our democracy is at a critical point of time. We will have to save our democracy; we will have to save our Constitution. If that should happen, we will have to save, particularly, our Parliament. Parliament should not become redundant; Parliament should not become defunct; India should have a vibrant Parliament, and this Parliament will have to work for more days in the interest of the country and people. I support the Bill, and the spirit of the Bill. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): The next speaker is Shri Kailash Soni.

श्री कैलाश सोनी (मध्य प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, नरेश गुजराल जी ने यह विधेयक प्रस्तुत करके हम सब मेम्बर्स को अपनी भीतर उतरने का एक मौका दिया है, अपने आपको समझने का एक मौका दिया है, आत्मचिंतन का एक मौका दिया है। मैं इस भाव से इस सदन में यह बात कहना चाहता हूं कि मैं इस सदन का सबसे छोटी उम्र का आदमी हूं। इस सदन में मेरी आयु कुल तीन माह की है। ...(**व्यवधान**)... माननीय उपसभाध्यक्ष जी, वैसे मैं उस संसदीय क्षेत्र से आता हूं, जिसे स्वर्गीय हरि विष्णु कामत जी ने, जो संविधान निर्मात्री समिति के सदस्य थे, represent किया था। वे ICS थे, उसे resign करके वे पार्लियामेंट के मेम्बर हुए और पूरे हिन्दुस्तान की पहली election petition ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): यह उनकी maiden speech है, प्लीज़ सुनिए।

श्री कैलाश सोनी: हिन्दुस्तान की उनकी पहली petition सफल हुई है। वे हरि विष्णु कामत थे। इस भाव से मैं यह बात कहना चाहता हूं कि यदि घर में भी सबसे छोटा बच्चा बुजुर्ग के किसी ऐब के संबंध में, किसी दोष के संबंध में कहता है, तो मैंने परिवर्तन होते देखा है। अभी जब से हम इस हाउस में आए, तो हम नए एहसासों के साथ यहां आए थे कि जन सरोकारों के संबंध में उनको हल करने में हम क्या कारक बन सकते हैं। कभी डा. राम मनोहर लोहिया ने कहा था कि संयोग से तुम्हारी कोई सरकार बन जाए, तो क्या करना, सम्मान प्राप्त करने में, माला पहनने में, मिठाई खाने में वक्त बर्बाद नहीं करना, ऐसे कानून-कायदे बनाना, जिनसे जनता समझ जाए कि यह हमारी अपनी सरकार है। एक कानून को अटकाने से बहुत लोगों का नुकसान होता है। अभी हम देख रहे हैं कि अकारण, जब कोई issue नहीं है, जनता के सरोकारों से जिनका कोई संबंध नहीं है, एक या दो व्यक्ति धृष्टता से इतने बड़े सदन, हिन्दुस्तान का दिमाग है, यह सदन, लोकतंत्र का सबसे बड़ा पायदान है यह सदन और इस सदन में हम कितनी नादानी करते हैं। यह सदन कितनी ही शानदार परम्पराओं को स्थापित करने वाला है। हमने पूरी जिन्दगी इसे देखा है। मैं इस देश के एक मूर्धन्य राजनेता का नाम क्वोट करना चाहता हूं, प्रातः स्मरणीय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो हिन्दुस्तान में सबसे ज्यादा बोलने वाले नेता रहे हैं, लेकिन वे जो भी बोलते थे, उससे उन्होंने कभी भी किसी का दिल नहीं दुखाया था, यही डेमोक्रेसी है, यही हमारी परम्परा है। हम नहीं जानते कि इसका क्या असर होगा, लेकिन आज की रात हम अपने भीतर इस पर विचार करें कि आज टोटल पोलिटिकल सर्कल के प्रति पूरे समाज में एक तरह से अनास्था का वातावरण बन रहा है। हम तो सिर्फ दो आंखों से देखते हैं, लेकिन हमें देखने वाले लाखों लोग हैं। आजकल रिकॉर्डिंग के जो साधन हो गए हैं, उनसे हमारा एक-एक एक्शन, खासंने का, देखने का, चलने का, सब जनता के बीच में जा रहा है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): सोनी जी, आप चेयर को एड्रेस करें।

श्री कैलाश सोनी: हम यही चाहते हैं कि माननीय गुजराल जी ने सदन में जो विधेयक रखा है, इसका और एक्सपेंशन करके यह होना चाहिए कि हम जन-सरोकारों के लिए इस पवित्र संसद के एक-एक मिनट का उपयोग जनता के हित में कानून-कायदे बनाने के लिए करेंगे, उनकी समस्याओं को हल करने के लिए करेंगे। हमें इस पर बहुत उदारता से विचार करना होगा। आदरणीय वाजपेयी जी ने विरोध में रह करके भी अपने आचरण से एक अनुकरणीय परम्परा स्थापित की। इस देश में विरोधी दल का रोल प्ले करना भी आदरणीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें सिखाया है।

महोदय, अभी मोदी जी की बात हो रही थी कि वे केवल 15-20 मिनट के लिए सदन में आते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं कि मोदी जी यहां आकर क्या करेंगे? अभी हमने संसद में देखा कि ऐसे-ऐसे आरोप लगाए गए, जो बात संसद में कही ही नहीं गई थी। उस संदर्भ का आरोप लगा करके अभी दो दिन तक समय खराब किया गया और कहीं-कहीं तो गुजरात का हवाला भी दिया गया। हम यह कहना चाहते हैं कि आप इस बात को बहुत बारीकी से समझ लें कि इम्पैक्ट बोलने का नहीं होता, इम्पैक्ट आचरण का होता है। उस कैरेक्टर के पीछे जो चरित्र खड़ा होता है, उसका असर होता है। जयप्रकाश नारायण जी बहुत अच्छा भाषण नहीं करते थे, महात्मा जी बहुत अच्छा भाषण नहीं करते थे, लेकिन उनका असर इसलिए होता था, क्योंकि उनका आचरण ऊंचे स्तर का होता था। आज भले ही आप उन पर टीका करें अथवा कुछ और करें, लेकिन जन-सरोकारों के लिए जो आचरण नरेन्द्र भाई मोदी जी ने स्थापित किया है, वह अनुकरणीय है। कितना भी बड़ा मुद्दा रहा, केवल कैरेक्टर के कारण सुलझाया जा सका। असर इस बात का होता है कि जनता के प्रति हम कितने कमिटेड हैं। चाहे हम पक्ष में हों या विपक्ष में हों, लेकिन अच्छी बात को अच्छा कह करके भी हम अपनी लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं, इसी भाव के साथ मैं इस बिल का समर्थन करता हूं, साथ ही आदरणीय गुजराल जी को साधुवाद भी देता हूं।

डा. संजय सिंह (असम): माननीय महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस आवश्यक बिल पर बोलने का वक्त दिया, जो माननीय नरेश गुजराल जी ने रखा है। आप महान देश भारत, इसकी संसदीय प्रणाली, इसकी संसदीय परम्पराएं हम सबके लिए बहुत बड़ा आदर्श हैं और हम सभी लोग संसद के उन्हीं नियमों के अंतर्गत यहां पर बहस करते हैं, डिस्कशंस करते हैं। Democracy is, 'of the people, by the people, and for the people'. यहां हम अपने गांव से ले करके पूरे राष्ट्र से संबंधित मामलों पर, साथ ही विदेश का कोई मामला यदि अपने देश से संबंधित है, उस पर भी बहस करते हैं।

महोदय, हमें भी सौभाग्य से दो बार लोक सभा में और दूसरी बार राज्य सभा में, आपके बीच उपस्थित होने का मौका मिला है, इसलिए हमने भी वे परम्पराएं देखी हैं। अभी हमारे एक वक्ता ने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात कही, उनके प्रतिपक्ष में रहते हुए, जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का देहावसान हुआ, उस समय उन्होंने जो भाषण दिया था, वह आज भी रोमांच पैदा करने वाला है। जिस समय भारत और चीन का युद्ध हुआ अथवा भारत-पाकिस्तान का युद्ध हुआ, उस समय इन्दिरा जी के बारे में उन्होंने जो भाषण दिया, जो वक्तव्य दिया, वह आज भी हमारी संसदीय व्यवस्था में लिखित है। आज जब वह पक्ष इधर रहता है और वह वही करता है, तब उसे अच्छा लगता है, लेकिन अगर हम करते हैं, तो बुरा लगता है। मुझे लगता है, भारत बदल रहा है, यह बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन 21वीं शताब्दी में कितना गुणात्मक बदलाव है और हम विषयों पर कितनी सार्थक बहस करते हैं? यह बात सही है, माननीय नरेश गुजराल जी ने जो कहा है, यह disruption भी हमारा अधिकार है। हम अगर किसी issue पर विरोध करते हैं, wells में जाते हैं, यह भी हमारा अधिकार है। हम किसी न किसी रूप में अपनी नियमावली के अंतर्गत किसी बात का विरोध कर सकते हैं, लेकिन यह बात सही है कि हमारा समय निश्चित है। ...(**व्यवधान**)...

श्री प्रकाश जावडेकर: Well में जाना नियम नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

डा. संजय सिंहः नियम में नहीं है, लेकिन यह संविधान में है कि हम अपनी बातों के लिए विरोध प्रकट कर सकते हैं। आज यह विरोध प्रकट करने में, यह बात सही है कि हमारी संसदीय व्यवस्था में जितना समय निश्चित होता है, अगर कार्यवाही में हाउस कम समय तक चल रहा है, तो बड़ा अच्छा होगा कि अगर ऐसे महत्व के सवाल, ऐसे मुद्दे उस समय आते हैं, उन पर उस समय बहस नहीं हुई, वह टल जाती है, तो मुझे लगता है कि हाउस का समय बढ़ा कर उन पर जरूर चर्चा होनी चाहिए। इसके बारे में अगर 2, 4 या 10 दिन का और समय अपनी कार्यवाही में बढ़े, तो मुझे लगता है कि इसके लिए उचित ही होगा। सभी यह चाहेंगे कि हमारे देश के जितने भी राष्ट्रीय महत्व के मुद्दे हैं, उन पर यहां पर बहस हो। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि हमारे देश में ही नहीं, विदेशों में भी हमारी प्रणाली की, हमारी संवैधानिक संस्थाओं की चर्चा होती है और उसकी न्यायप्रियता की, उसकी ईमानदारी की और सच्चाई की चर्चा होती है। लेकिन अगर आज हम किसी चीज़ पर बहस कर रहे हैं और हाउस disrupt होता है, समय बीत जाता है और उसके बाद समय भी खत्म हो जाता है, हमारा यह हाउस साल में limited समय के लिए चलता है, तो मुझे लगता है कि अगर इसके लिए समय कुछ और बढ़ेगा, तो उसमें कोई बुराई नहीं है।

आज देश में जो हालात हैं, जिनके बारे में आज हमें भी चिन्ता है, आपको भी चिन्ता है, हरेक सदस्य अपने सदन के माध्यम से, सदन के अन्दर और सदन के बाहर मीडिया के माध्यम से और किन्हीं माध्यमों से अपनी बातों को रखते हैं। यह बात सही है कि यह 21वीं शताब्दी है और आज सोशल मीडिया भी है। आज तमाम सारे टेलीविजन चैनल्स पर भी बहुत सारी बातें हुईं, उन पर भी चर्चा हुई। कौन कैसी बात करता है, तो निकाल दिया जाता है और कौन कैसे करता है, तो प्रशंसा होती है। मुझे लगता है कि ये सारी बातें आज संसद के संज्ञान में हैं, देश के संज्ञान में हैं, हमारी व्यवस्था के संज्ञान में हैं। मुझे लगता है कि यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय भी है, बहुत बड़ी गम्भीर चिन्ता का भी विषय है। माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इसके बारे में बहस भी हो। आने वाले इस बदलाव में, बदलते भारत में, 21वीं शताब्दी में इसके बारे में भी बहस हो किः-

"हम कौन थे, क्या हो गये और क्या होंगे अभी,
आओ विचारें आज मिल कर, ये समस्याएं सभी।"

महोदय, हमें यह विचार करना ही होगा। आज जो चीज़ें हमारे सामने, आपके सामने, हमारी-आपकी जेनेरेशन के सामने हो रही हैं, और आने वाले भविष्य में, आने वाली जेनरेशन के सामने क्या दिक्कतें आने वाली हैं, क्या और कैसा वातावरण होगा, कैसा environment होगा, कैसा पानी होगा, कैसी हवा होगी, आने वाले समय में कैसा सौहार्द होगा? देश में आपस में इन तमाम सारी विभिन्नताओं के बावजूद हमारे भारत में – दुनिया के इतिहास में हैं, बहुत सारे देश हैं, जिनका अपना झंडा अलग लगता है, सपोर्ट करने वाले का झंडा अलग लगता है। हमें गर्व महसूस होना चाहिए कि इन तमाम सारी कठिनाइयों से गुजरते हुए भारत में भी, आज भी अपना संविधान, आज भी अपना तिरंगा, आज भी अपने भारत की एकता अक्षुण्ण है, मौजूद है। यह आने वाले सैंकड़ों-हज़ारों सालों तक बनी रहे, जब तक यह मिट्टी, हवा और असामान भारत का हो, यह एक रहे। लेकिन इसके लिए हमें समय-समय पर इसका चिन्तन, समय-समय पर इस पर बहस, समय-समय पर इसके लिए विचारों का आदान-प्रदान

होना चाहिए। यह उसी सौहार्द के साथ होना चाहिए। जिन अटल बिहारी वाजपेयी, जिन माननीय राम मनोहर लोहिया जी और तमाम सारे अपने पूर्व महापुरुषों-राजनेताओं की चर्चा हम करते हैं, उनका आदर्श हमारे बीच में है, हमारी संसदीय प्रणाली की हमारी कार्यवाही की किताबों में भी है। तो हम उसकी चर्चा करते हैं, लेकिन उस पर कितना चल रहे हैं, कितना और हमें चलना चाहिए, उन बातों का कितना पालन करना चाहिए, हर समय हमारी यह चिन्ता रहनी चाहिए। सरकार की जिम्मेदारी तो है ही, हम सारे लोगों की भी जिम्मेदारी है कि उन विषयों पर, जो देश के हर तरह से भविष्य के लिए, हमारी अखंडता, हमारी एकता, हमारी मज़बूती के लिए और हमारी बहबूदी के लिए आवश्यक है, उन पर कुछ समय और भी लगता हो, तो हमें लगता है कि इस संसदीय कार्यवाही को चलाने के लिए उसमें edition हो, तो कोई बुराई नहीं है।

मैं माननीय नरेश गुजराल जी का आभारी हूं, जो उन्होंने बहुत राष्ट्रीय महत्व की बात की, अपनी संसदीय व्यवस्था के बारे में चिंता की। मैं उसकी तारीफ करता हूं। मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभाध्यक्ष जी, माननीय नरेश गुजराल द्वारा सदन में जो संसद (उत्पादकता में वृद्धि) विधेयक, 2017 उपस्थित किया गया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। देश में लोक सभा और राज्य सभा दो सदन हैं और दोनों सदनों में जनहित की समस्याएं उठाई जाती हैं, पूरे देश के संचालन के लिए नीतियां बनती हैं। इसके लिए सदन में कई बिल और प्राइवेट मैम्बर्स बिल प्रस्तुत किए जाते हैं, जिन पर माननीय सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर मिलता है। समय-समय पर यहां जो सरकारें रही हैं, कुछ दिनों से यहां ऐसी परम्परा चल पड़ी है, पहले 100 से 120 दिनों तक सत्र चलते थे, लेकिन अब सदन का समय बहुत शॉर्ट किया जा रहा है। विधान सभाओं में हाल यह है कि वहां सिर्फ दो-तीन दिन का बजट सत्र होता है। सदन में सभापति जी आए, मंत्री जी ने पहली लाइन पढ़ी, आखिरी लाइन पढ़ी और बजट पास हो जाता है। राज्यपाल जी आए, उन्होंने भी एक लाइन शुरू की पढ़ी, दूसरी लाइन अखिरी पढ़ी और राज्यपाल महोदय का अभिभाषण खत्म।

महोदय, मैं समझता हूं कि इस तरह हम सदस्यों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। इसके लिए गुजराल साहब सदन में जो विधेयक लाए हैं, वह बहुत सराहनीय हैं। इसमें 100 से 120 दिनों तक सदन की कार्यवाही चले और सदन का विशेष सत्र बुलाने का प्रावधान है। हम देखते हैं कि यहां सदस्यों के जो अधिकार हैं, प्रश्न काल, ज़ीरो ऑवर है, उसे खत्म कर दिया जाता है। यह सर्वोच्च सदन है। पूरा देश चाहता है कि आज़ादी के 70 साल बीत जाने के बाद, देश से गरीबी मिटनी चाहिए, भुखमरी मिटनी चाहिए। दिल्ली में अभी जो बच्चियां भूख से मरीं, उस पर सरकार को चिन्ता करनी चाहिए, लेकिन सरकार पर कोई असर पड़ता दिखाई नहीं देता। पिछली सरकार यहां फूड एक्ट लाई थी। हम देखते हैं कि आज भी बहुत से लोगों के घरों में एक समय भोजन बनता है - उस पर यहां चर्चा होनी चाहिए। हम यहां किसी का नाम नहीं लेंगे लेकिन कभी-कभी सदन में ऐसे मुद्दों पर चर्चा हो जाती है, जिसका कोई अर्थ नहीं होता। अपनी-अपनी ego के कारण सदन की कार्यवाही बाधित होती है, सदन को स्थगित कर दिया जाता है। इसमें सत्ता पक्ष का ज्यादा हाथ होता है। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि सदन को सुचारू रूप से चलाए, लेकिन विपक्ष के किसी सवाल पर इनके अनेक माननीय सदस्य

[श्री विशम्भर प्रसाद निषाद]

और मंत्री खड़े होकर नारे लगाते हैं, हूटिंग करते हैं। इसे पूरा देश देखता है कि वे विपक्ष के लोग हैं या सत्ता पक्ष के लोग हैं। इस दिशा में सदन में प्रस्तुत विधेयक बहुत कारगर सिद्ध होगा, ऐसा मैं मानता हूं। अब माननीय सदस्यों को डिबेट में भाग लेने के ज्यादा अवसर मिलेंगे।

महोदय, अपने विषय को ज़ीरो ऑवर में उठाने के लिए मैं कई दिनों से प्रयत्न कर रहा था। मैं चाहता था कि हमें भी अपनी बात कहने का मौका मिले। लोक सभा की उत्तर प्रदेश से एक सांसद थीं - फूलन देवी। जब वे सदन से अपने घर जा रही थीं तो उनकी घर के सामने हत्या कर दी गई। शेर सिंह राणा ने उनका मर्डर किया, जो बाद में तिहाड़ जैसी सुरक्षित जेल से भाग गया। कुछ समय पूर्व सजायाफ्ता शेर सिंह राणा उत्तर प्रदेश में उनके गांव जा रहा था, मैंने देखा कि वहां सब जगह निषाद और क्षत्रिय लोगों में बहुत खराब वातावरण पैदा हो रहा है। उसी की तरफ मैं उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता था। अगर देश में कुछ लोगों को इसी तरीके से महिमा-मंडित किया जाता है, शेर सिंह राणा को लेकर फिल्म अभिनेता अजय देवगन फूलन देवी पर जो फिल्म बना रहे हैं, उससे हमें क्या सीख मिलेगी? वह गरीब महिला, जिसके साथ न्याय नहीं हुआ, 13 साल की उम्र से उस पर अनेक अत्याचार हुए, जिसके कारण उसे जंगलों में जाना पड़ा। उनके साथ और क्या-क्या हुआ। उसको पूरा देश, दुनिया जानती है, लेकिन जब उनको समझ आई, तो उन्होंने मध्य प्रदेश के भिंड में आत्मसमर्पण किया, उस समय अर्जुन सिंह जी वहां के मुख्य मंत्री थे। हम माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देंगे कि उन्होंने उनके सारे केसेज़ को वापस लेकर उनको मिर्ज़ापुर से दो बार सांसद बनाने का काम किया। जब वे अपने घर से जा रही थीं, उसी दरम्यान उनकी हत्या हो गई। आज एक फिल्म अभिनेता शेर सिंह राणा के ऊपर फिल्मांकन करने जा रहा है, जिसमें उसने मनगढंत कहानी रची है।

सर, आज स्वः फूलनदेवी का हत्यारा तिहाड़ जेल से भाग गया था। लेकिन उसको भगाने वाले कौन थे? उनके पीछे कौन-कौन अधिकारी थे, कौन-कौन नेता थे? अगर तिहाड़ जेल जैसी सुरक्षित जेल से कोई भाग जाए, तो और जेलों में क्या स्थिति होगी? आज पूरे देश में जिस नाटकीय ढंग से वातावरण को खराब किया जा रहा है, इसके लिए चिंता करने की जरूरत है। मैं इस विषय पर बोलना चाहता था, लेकिन मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया।

महोदय, मैं बुंदेलखंड की समस्याओं को लगातार उठाता रहा हूं कि बुंदेलखंड में भुखमरी है, गरीबी है। मैं सत्ता पक्ष के लोगों से कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कम से कम लाखों गायें और बछड़े हैं, वहां बछड़ों की संख्या ज्यादा है, गायें कम हैं। वहां पर किसान अपनी फसलों की सुरक्षा के लिए रात-रात भर अपने खेतों पर पड़े रहते हैं क्योंकि उनकी फसलें बरबाद हो रही हैं, लेकिन सरकार उनका संरक्षण कर रही है। जो एक भी डंडा किसी गाय को मार दे या बछड़े को मार दे, तो गो रक्षक तुरंत उस पर मुकदमा कायम करके जेल भिजवाने का काम करते हैं। इसके लिए केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार को कोई ठोस कदम उठाना चाहिए। आज किसानों की हालत बहुत खराब है। वैसे भी किसान वहां पर खरीफ की फसल नहीं बो पाया है, क्योंकि समय पर बारिश नहीं हुई। वहां पर अब इधर वर्षा हुई है। वहां पर किसान पानी के लिए, भुखमरी के कारण आत्महत्या कर रहा है। वहां का किसान कर्ज़ में डूबा हुआ है। इन तमाम समस्याओं को हम लोग समय-समय पर उठाते रहे हैं।

महोदय, बजट सेशन में बजट पर सभी माननीय सदस्यों को बोलने का अधिकार है, लेकिन बजट पर डिबेट के वक्त समय में कटौती कर दी जाती है, जिसके कारण माननीय सदस्यों को एक-दो मिनट का समय मिलता है। ऐसी स्थिति में छोटे दलों के लिए और दिक्कत हो जाती है। यहां पर जितने भी सदस्य चुन कर आए हैं, वे राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, अपने राज्यों की बात करते हैं, जनता की बात करते हैं, इसलिए उन्हें अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए।

महोदय, जब प्रश्न काल का समय आता है, तब हमारे जितने भी सदस्य प्रश्न करते हैं, किसी भी प्रश्न का सही जवाब नहीं मिलता है। क से लेकर ङ तक एक ही बार में लिख दिया जाता है, उनका प्वाइंटवार उत्तर नहीं दिया जाता है। उसके लिए माननीय सभापति की तरफ से नियमावली बननी चाहिए कि अगर किसी मंत्री के द्वारा गलत उत्तर दिया जाता है, तो संबंधित मंत्री के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी जवाबदेही फिक्स होनी चाहिए। विधान सभा में ऐसा था, वहां पर नियमों में ऐसा है कि अगर कोई मंत्री गलब जवाब देता है, तो संबंधित मंत्री की जवाबदेही होती है और उसको दोबारा उत्तर देना पड़ता है, उसको शुद्ध करना पड़ता है, लेकिन यहां पर इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। हम इसके लिए चिल्लाते रहते हैं। अगर हम इसको शून्य काल में उठाना चाहेंगे, तब भी हमें इसके लिए मौका नहीं मिलेगा। जहां तक स्पेशल मेंशन की बात है, अभी थोड़ी देर में स्पेशल मेंशन होने वाला है, उस समय यह कह दिया जाएगा कि आप अपना स्पेशल मेंशन ले कर दीजिए। इस तरह से किसी को बोलने का मौका नहीं मिलता है। सदस्यों के जितने भी अधिकार हैं, सब में कटौती की जा रही है। मेरा यह अनुरोध है कि सदस्यों के अधिकारों की कटौती नहीं की जानी चाहिए। स्पेशल सत्र बुलाने, 100 से 120 दिनों तक सत्र चलाने आदिं सबंधी यह जो विधेयक माननीय नरेश गुजराल जी द्वारा लाया गया है, मैं इसका समर्थन करते हुए सरकार से यह कहना चाहता हूं कि एक ही सरकार हमेशा नहीं होती है, सरकार आती-जाती रहती है लेकिन यह सदन सर्वोच्च सदन है, देश की जनता के लिए है, गरीबों के लिए है, लोग आज भूखों मर रहे हैं, उन पर चर्चा होनी चाहिए। उनकी गरीबी पर चर्चा होनी चाहिए। आज सरकार मस्त है और जनता बेहाल है।

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): धन्यवाद, विशम्भर प्रसाद जी। श्री रामदास अठावले जी।

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रामदास अठावले): उपसभाध्यक्ष महोदय,

"आज मुझे हो रहा है अच्छा फील,
क्योंकि नरेश गुजराल जी ने लाया है 100 दिन का बिल।
हमें ध्वस्त करनी है हंगामे की हील,
और सदन को चलाने का घुमाना है व्हील।
ठीक नहीं चलेगा सेशन, तो कैसे चलेगा नेशन?
इसलिए मैं कर रहा हूं राज्य सभा में भाषण,
अब तो ठीक चलना चाहिए सेशन।"

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं तीन बार लोक सभा में चुनकर आया था। मैंने 12 सालों में बहुत हंगामें देखे थे। मैंने सोचा कि राज्य सभा में जाकर, राज्य सभा का आनंद लें

[श्री रामदास अठावले]

और फिर वर्ष 2014 में मैं राज्य सभा में आया। मैं श्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से, भारतीय जनता पार्टी के आशीर्वाद से राज्य सभा में आया। मैं कांग्रेस के आशीर्वाद से लोक सभा में था, क्योंकि मुझे सभी का आशीर्वाद मिलता है। मैं यहां पर आया और मैंने देखा कि चाहे दलित-अत्याचार का issue हो, मुस्लिम समाज पर गो-हत्या के नाम पर अत्याचार का issue हो, किसानों का issue हो, किसानों की आत्महत्या का issue हो, चाहे कोई भी issue हो, उस पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार रहती है, लेकिन आप लोगों की तरफ से - मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी इतने साल सत्ता में रही, उसको हंगामे की आदत नहीं थी, लेकिन अब वह भी हंगामा करना सीख गई है। आपको सत्ता में रहने की आदत थी, अब आप लोग इतना हंगामा करने लगे हैं। इतने हंगामे को देखकर मैंने सोचा कि मैं दोबारा लोक सभा में जाऊंगा।

मैं कहना चाहता हूं कि श्री नरेश गुजराल जी का बिल बहुत अच्छा है। बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो लोकतंत्र दिया है, बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने जो संविधान दिया है, जो नियम दिए हैं, उन नियमों के मुताबिक सेशन का काम चलना चाहिए। चाहे कोई भी विषय हो, उसमें सरकार की जिम्मेदारी है और उसे सेशन चलाने में सहयोग देना चाहिए। लोकतंत्र में यह होता है कि जिनको majority मिली है, वे इधर होते हैं और जिनको minority मिलती है, वे उधर होते हैं। ये लोग पहले बहुत साल उधर ही बैठते थे, अभी ये इधर आ गए हैं, तो इनको कुछ साल इधर बैठने दो।

उपसभाध्यक्ष महोदय, लोकतंत्र में चर्चा होनी चाहिए। हरेक को अपनी opinion, अपना मत रखने का अधिकार है। मुझे इस बात का गर्व है कि मैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया से हमेशा एम.पी. रहा हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार हमारी पार्टी के नौ एमपीज़ थे। एक जमाना था, जब दिल्ली में श्री अब्बास मलिक नाम के मेयर रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के थे और हाथी हमारा सिम्बल था, लेकिन मायावती जी ने वह भी ले लिया। पहले वह सिम्बल आर.पी.आई. का था। अब हाथी फिर मेरे पास आएगा, मैं उसे लेने की सोच रहा हूं, लेकिन यह एक अलग बात है। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि एक बार हमारे नौ एमपीज़ थे, 1998 में चार एमपीज़ थे, 1999 में दो एमपीज़ थे, 2004 में मैं अकेला था और 2009 में एक भी एमपी नहीं रहा। मैंने शिरडी से इलेक्शन लड़ा था। श्री पवार साहब मेरे मित्र हैं। अगर मैं इधर भी हूं, तो भी वे मेरे मित्र हैं। लोकतंत्र में पोलिटिकल भूमिका अलग हो सकती है, लेकिन मुझे सभी के साथ दोस्ती रखने की आदत है। कब क्या होगा, कब किधर हवा चलेगी ...**(व्यवधान)**... इसलिए मैं सभी के साथ अच्छे संबंध रखता हूं। कब क्या निर्णय लेना है - जब कांग्रेस की हवा थी, तब मैं उनके साथ था और जब बीजेपी की हवा आ गई, तो मैंने सोचा कि उधर रहने से क्या फायदा है, जब हवा इधर की चल रही है? मैं कहना चाहता हूं कि मैं जनता के साथ रहता हूं, लोग जहां जाते हैं, मैं भी उनके साथ ही जाता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन मेरा यह कहना है कि यह हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए। 100 दिन के संबंध में यह बिल श्री गुजराल साहब की ओर से आया है, जिसमें हम आपके साथ हैं। आप भी हमारे साथ हैं, हम भी आपके साथ हैं। अभी 60 दिन का सेशन होता है, आपकी मांग है कि वह सेशन 100 दिन का होना चाहिए, हर दिन काम होना चाहिए। अभी अच्छी तरह से काम चल रहा है, पहले हर रोज़ हंगामा होता था, हम हर रोज़ बाहर जाते थे। मैं कहना चाहता हूं कि हमारे चेयरमैन साहब भी बहुत एक्टिव हैं। अगर कोई ज्यादा हंगामा

करता है, तो वे बरदाश्त नहीं करते हैं, क्योंकि यह हाउस हंगामे के लिए नहीं है। अगर किसी को हंगामा करना है, तो वह बाहर जाए और काम करना है, तो यहां आ जाए। यहां हंगामा नहीं होना चाहिए। यह ठीक है कि अगर कोई वैसा विषय हो, तो हंगामा करो। मैंने एक विषय यह रखा था कि एक ऐसा नियम बने कि अगर कोई तीन दिन तक वेल में आए, तो चलेगा, लेकिन अगर वह चौथे दिन भी वेल में आएगा, तो उसको सस्पेंड करना चाहिए, क्योंकि एक-एक महीने तक पूरा का पूरा सेशन न चले, ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे हम हंगामा करें या वे हंगामा करें। पहले मैं भी हंगामा करता था। जब मैं लोक सभा में था, तब मैं ज्यादा हंगामा करता था और इसलिए लोग मुझे पहचानते हैं। मैं हंगामा नहीं करता था, तो लोग मुझे नहीं पहचानते थे। मैं इनके खिलाफ हंगामा करता था, इसलिए मैं इनके साथ आ गया। पहले मैं इनके खिलाफ आपके लिए हंगामा करता था और अभी इनके लिए मुझे आपके खिलाफ हंगामा करना पड़ता है। यह ठीक बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए और हाउस अच्छी तरह से चलना चाहिए। इसलिए गुजराल साहब ने जो यह बिल यहां लाया है, उसका मैं अपनी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से पूरा सपोर्ट करता हूं। इस बिल के अनुसार, डेज़ को बढ़ाने के बारे में हमारी मोदी सरकार जरूर विचार करेगी। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपने दो शब्द यहीं खत्म करता हूं। जय भीम, जय भारत!

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): श्री राकेश सिन्हा जी।

श्री नीरज शेखर (उत्तर प्रदेश): सर, आपने तो कहा था कि ये लास्ट स्पीकर हैं!

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): अभी पांच बजे तक का टाइम है।

कुछ माननीय सदस्य: सर, स्पेशल मेंशंस भी हैं। ...(**व्यवधान**)...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): Special Mentions will be 5 o'clock. Before that, Shri Rakesh Sinkha will speak. This is his maiden speech.

श्री राकेश सिन्हा (नाम निर्देशित): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर मुझे आज बोलने का अवसर दिया। मैं आठवीं क्लास से द्वितीय सदन, यानी अपर हाउस की भूमिका क्या है, पढ़ता रहा हूं और जब मैं सदन में पिछले कुछ दिनों से हूं, तो इसका मैं प्रत्यक्ष अनुभव कर रहा हूं। ...(**व्यवधान**)...

कुछ माननीय सदस्य: सर, इनका माइक ठीक नहीं है। ...(**व्यवधान**)...

श्री विजय गोयल: सर, इनका माइक ठीक किया जाए। ...(**व्यवधान**)... यह उनकी मेडन स्पीच है।...(**व्यवधान**)...

श्री राकेश सिन्हा: सर, इस मुद्दे पर मैंने कई भाषण सुने, जिनमें कई पहलुओं को छुआ गया। ये भाषण ईमानदारी से दिए गए हैं। संसदीय लोकतंत्र में द्वितीय हाउस की जो भूमिका होती है, उसमें एक महत्वपूर्ण पहलू यह है कि हमारे ऊपर चुनाव का बोझ नहीं होता है। हमारे ऊपर जनता के दिन-प्रतिदिन की समस्याओं के प्रति आकर्षण और उसके प्रति उत्तरदायित्व तो होता है, लेकिन हमें जवाबदेही के मामले में दूरगामी दृष्टि अपनाने का एक अवसर भी मिलता है, इसलिए पूरी दुनिया में

[श्री राकेश सिन्हा]

द्वितीय हाउस की भूमिका क्या हो, इस पर विमर्श चल रहा है। हर लोकतंत्र में इस बात पर विमर्श चल रहा है कि द्वितीय हाउस की उपयोगिता है या नहीं है? इसका कारण है कि लोक सभा और राज्य सभा के बीच की दूरी जब घटेगी, तो समाजशास्त्र इस पर विमर्श करेगा कि यदि लोक सभा काम कर रही है, तो फिर राज्य सभा की आवश्यकता क्या है? इसलिए हमें पहले अपनी उपयोगिता के औचित्य को स्थापित करना पड़ेगा। उपसभाध्यक्ष महोदय, उस औचित्य को स्थापित करने में हमारा आईना क्या हो? हर जनतंत्र में उसका अपना आईना, अपना इतिहास होता है और जिस जनतंत्र का इतिहास स्वर्णिम हो, उसको अमेरिका और ब्रिटेन के इतिहास को देखने की आवश्यकता नहीं है। सदन दलीय व्यवस्था का बाह्य रूप है, जो उसके आंतरिक स्वरूप के रूप में प्रस्तुत होता है। जैसी दलीय व्यवस्था बाहर होगी, उसी का स्वरूप सदन के अंदर दिखाई पड़ेगा। मैं संजय सिंह जी का भाषण सुन रहा था, उन्होंने राम मनोहर लोहिया जी का ज़िक्र किया। संजय सिंह जी, उस वक्त हिन्दुस्तान का राजनीतिक पर्यावरण क्या था, मैं उसका ज़िक्र करना चाहता हूं। पंडित दीन दयाल उपाध्याय भारतीय जनसंघ के नेता थे, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के प्रचारक थे, डा. संपूर्णानन्द कांग्रेस के नेता थे, जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री रहे। आप कल्पना कीजिए कि दीन दयाल जी ने एक पोलिटिकल डायरी लिखी, उस पोलिटिकल डायरी में उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की नीतियों की स्वस्थ आलोचना की, एस.के. पाटील के बारे में बोला कि आप कटोरा लेकर विदेशों में भीख मांगने जाते हैं, इस देश का सम्मान बेच रहे हैं। उस पोलिटिकल डायरी का प्राक्कथन किसने लिखा? डा. संपूर्णानन्द जी ने लिखा था। जब डा. संपूर्णनन्द पंडित दीन दयाल उपाध्याय जी की एक पोलिटिकल डायरी का प्राक्कथन लिख रहे थे, तो सदन के अंदर ज्योतिर्मय बसु सीपीएम के, अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ के, हीरेन्द्र मुखर्जी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के, ये तीनों वैचारिक रूप से लड़ते थे और बाहर जाकर मित्रवत् निकलते थे। यदि हम इस सदन के आईने को देखें, तो हमें पता चलेगा कि सदन की मर्यादा क्यों टूटती है। सवाल दिनों का नहीं है, सवाल मात्रात्मक नहीं है, सवाल गुणात्मक है। यदि हम 365 दिन की अनिवार्यता कर दें और सदन में 365 दिन 5 लोग या अकेले में जाकर हंगामा मचाऊं और 365 दिन समाप्त हो जाएं, उपसभाध्यक्ष महोदय, तब आप कितने दिन बढ़ाएंगे? सवाल यह है कि हम क्या चाहते हैं? मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। आज माननीय गृह मंत्री जी का जवाब आया। जब तीन दिन पहले इसी जवाब को देने के लिए गृह मंत्री जी बैठे हुए थे, तो जवाब नहीं लेने दिया गया। गृहमंत्री जी के जवाब में एक भी अक्षर परिवर्तन नहीं हुआ, अपरिवर्तनीय जवाब था। जो जवाब वे तीन दिन पहले देते, उसे तीन दिन बाद दिया। तीन दिन तक सदन स्थगित रहा, हम आए और गए। हम सेंट्रल हॉल में बैठे, गप की और चले गए। हम आत्मलोचन करें। क्या उन तीन दिनों के लिए हम सब सामूहिक रूप से जिम्मेदार नहीं हैं?

उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि जब राजनीति में सामाजिकता का बोध समाप्त हो जाता है, तो राजनीति अपने निम्न स्तर पर पहुंच जाती है। हम राजनीतिक मतभेद को राजनीतिक शत्रुता में परिवर्तित कर देते हैं, लेकिन सदन का माहौल ऐसा होना चाहिए, जिसे हमने चन्द्रशेखर जी के रूप में देखा, जिसे आचार्य कृपलानी जी के रूप में देखा, जब जनसंघ छोटी पार्टी थी। हमारे पास नाम उद्धृत करने के लिए, तब के दो-तीन नाम ही हैं। हम तो नाम भी आप लोगों के बीच से ही उद्धृत करते हैं। मैं कृपलानी जी की एक घटना बताना चाहता हूं कि कृपलानी जी सदन में कांग्रेस

5.00 P.M.

पार्टी की आलोचना कर रहे थे, तो एक कांग्रेस के सदस्य ने कहा कि आपको मालूम नहीं है कि सुचेता कृपलानी जी कहां पहुंच गई हैं? कृपलानी जी की धर्म पत्नी सुचेता कृपलानी जी कांग्रेस ज्वाइन कर चुकी थीं। कृपलानी जी समाजवादी पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी में थे। वह आज की समाजवादी पार्टी नहीं थी, वह तब की सोशलिस्ट पार्टी थी। कृपलानी जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग 'stupid fools' हैं, लेकिन वे अपहरण करते हैं, यह मुझे मालूम नहीं था। पूरा सदन हंसी के भाव में गुज़र गया। यह सदन का माहौल था। हम उस माहौल से कहां से कहां पहुंच गए। मैं इसका एक दूसरा उदारहण देना चाहता हूं, मैं डी. राजा जी को सुन रहा था। हमारा संसदीय इतिहास बहुत पुराना नहीं है, यदि हम स्वतंत्र भारत को देखें, तो यह कुछ दशकों का इतिहास है। उस इतिहास में सभी पार्टियों का, सभी विधान सभाओं का, लोक सभा और राज्य सभा का आत्मालोचन करें, तो मैं खासकर के डी. राजा जी और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अगर मेरे मित्र बैठे हुए हैं, तो याद दिलाना चाहता हूं। पश्चिमी बंगाल में यूनाइटेड फ्रंट एक्सपेरिमेंट हुआ था। वह बहुत ही महत्वपूर्ण एक्सपेरिमेंट था, कांग्रेस के खिलाफ एक्सपेरिमेंट था, बंगला कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और सीपीआईएम का एक्सपेरिमेंट था। विश्वनाथ मुखर्जी और लहरी दो सीपीआई के नेता थे, जो बंगला कांग्रेस के मुख्यमंत्री श्री अजय मुखर्जी जी के साथ थे, डी. राजा जी को अपना इतिहास याद होगा। श्री ज्योति बाबू डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, अजय मुखर्जी और डिप्टी चीफ मिनिस्टर के बीच का पत्र व्यवहार आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि ...(**व्यवधान**)...

उपसभाध्यक्ष (श्री भुवनेश्वर कालिता): सिन्हा जी, ...(**व्यवधान**)... मालूम है। आपका भाषण जारी रहेगा। अगले सत्र में आपका भाषण continue रहेगा। आपकी मेडेन स्पीच थी, लेकिन समय कम है, क्योंकि अभी हमें दूसरा विषय लेना है। अगले सत्र में आप बोलिएगा।

RECOMMENDATIONS OF THE BUSINESS ADVISORY COMMITTEE

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI BHUBANESWAR KALITA): I have to inform Members that the Business Advisory Committee, in its meeting held on the 3rd of August, 2018, has allotted time for Government Legislative and other Business as follows:-

	Business	Time Allotted
1.	Consideration and return of the Appropriation Bills relating to the following Demands for Grants, after they are passed by Lok Sabha:- (a) Supplementary Demands for Grants for 2018-19. (b) Demands for Excess Grants for 2015-16.	Two Hours (To be discussed together)